SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I don't know whether he has heard it or he is hearing something else.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The Leader of the House had assured that he would convey. Let us wait for that.

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): Sir, the point is, if the Finance Minister can clarify the situaton then we will be knowing things much better from hs statement. It is good both for the Government and for the House.

SHRI M. M. JACOB: I agree that I will convey it to the Finance Minister.

THE BHOPAL GAS LEAK DISASTER PROCESSING OF CLAIMS) AMENDMENT BILL, 1992

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): Sir, I move:

> "That the Bill to amend the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Bhopal disaster is one of the worst disasters of the whole world. It took place in December, 1984. It occurred because of the leakage of Methyl Isocyanite gas from that factory. So many people died and so many people have become disabled. Immediately, after that tragedy, the Government took a lot of steps to give relief measures both medically and financially. After that, in 1985, we brought in a Bill which became an Act after a thorough discussion in both the Houses. After that, in 1990, some relief measures were taken by the Government of India and Rs. 200 per victim per month has been given since them. After that, there was a prolonged battle in different courts. Finally, the Supreme Court gave its verdict in the month of November, 1991 and they gave four months for the Government to come out with some guidelines and to start the adjudication process. The Government has given powers to the welfare commissioner who is a sitting Judge of the Madhya Pradesh High Court. He started the adjudication process in time. After that, we received a number of complaints about the delay in the disbursement of compensation funds. And the people felt that more powers should be given to the Welfare Commissioner. Then the Government felt that the hands of the Welfare Commissioner should be strengthened. And that is the objective of the Bill, that is, to give more powers to the Welfare Commissioner, to give more judicial powers, to make him more independent and to enable him to take his own decision on his part. That is why we are introducing the Bill. I beg the House, through you Sir, to take the Bill into consideraion.

The question was proposed. ..

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्यप्रदेश) : सम्मानीय उपसभाध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वह अत्यन्त गम्भीर घटना है। भोपाल गैस डिसास्टर औद्योगिक इतिहास की सबसे बडी दुखद घटना है, जिसमें चार हजार से पांच हजार तक लोग मारे गए हैं और इससे भोपाल शहर के छह लाख लोग और आसपास आने वाले करीब-करीब सौ गांव इससे प्रभावित हुए हैं।

महोदय यह जितनी बड़ी घटना है, उससे हम आशा करते थे कि इसको उतनी ही गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन आपके द्वारा पूरे सदन तक मैं यह विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, अपनी पीड़ा को बताना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से भोपाल गैस ट्रेजडी को उतनी

[श्री नारायण प्रसाद गुप्ता]

गम्भीरता से केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया गया । आठ वर्ष बीत चुके हैं आप कल्पना करिए कि वहां के लोग कितनी बीमारियों से पीडित हैं और चार हजार से पांच हजार तक लोग मारे गए हैं करीब-करीब पूरा शहर बीमारी से ग्रस्त है । अनेकों बीमारियां पीढी-दर-पीढी के लिए स्थायी हो गई हैं । अब इस समस्या का निदान कैसे किया जाए ? जब यह प्रश्न आया और इस प्रश्न पर प्रदेश की जनता लडना चाहती थी अपने अधिकारों के लिए कि जो लोग मारे गए हैं उनको उचित मुआवजा मिले, चिकित्सा, पर्यावरण और रोजगार की सुविधायें उपलब्ध हों तो उस समय केन्द्र सरकार ने हस्तक्षेप करके सारे प्रकरण का टेकओवर किया और यह कहा कि इतना बडा यह मामला है कि आप लोग नहीं निपटा सकते, केंद्र सरकार इस मामले को निपटाएगी । उस समय हमने आशा की थी कि तदनुसार कदम उठाए जायेंगे लेकिन आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी जिस गति से केंद्रीय सरकार शासन काम कर रही है यह चींटी की गति से भी शायद कोई धीमी गति है ।

महोदय अब आठ साल गुजर गए हैं और मुआवजा वितरण के लिए आज यह बिल लाया गया है, जिसमें कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं सिविल कोर्ट के अधिकार दिए जा रहे हैं । यह जो "द भोपाल गैस लीक डिसास्टर (प्रोसेसिंग आफ क्लेम्स) अमेंडमेंट बिल, 1992, जो लाया गया है, यद्यपि मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था और दवों का निपटारा भी तेजी से शुरू होना चाहिए था । हर बात में विलंब किया जा रहा है, यह मेरी शिकायत है । मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि जो मंत्री जो विराजमान है, जिन्होंने वक्तव्य दिया, शायद मंत्री बने उनको एक वर्ष बीत चुका है, इन्होंने भोपाल आने की कोई कृपा नहीं की है और न ही इस समस्या को समझने की कोशिश की है ।

महोदय, वहां के लोग बहुत पीड़ित हैं । अब प्रश्न इतना है कि यह जो अमेंण्डमेंट बिल आया है, इसके बारे में मझे यह कहना है कि हम इसका स्वागत तो करते हैं, किंतु शिकायत यही है कि यह देर से लाया गया है । यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था ताकि मुआवजा वितरण की कार्यवाही पहले से की जाती । खैर, देर आयद दुरुस्त आयद । इसके बाद जो इससे समस्यायें जुडी हुई हैं, उस पर मैं आगे बढना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि कुल मिलाकर जो मुआवजा राशि तय की गई है, उसके वितरण के लिए जो वेलफेयर कमीशन नियुक्त किए गए वह कितने हैं ? महोदय, कुल 56 वार्डों में 56 वेलफेयर कमीशन नियुक्त होने है, 11 अपीलेट कोर्ट बनने हैं, लेकिन अभी तक कुल 17 ही जज नियुक्त किए गए और इन 17 में से भी 4 ने रिजाइन कर दिया क्योंकि वह खुद भी दावेदार हैं, भोपाल के गैस पीडित हैं । अब अगर 13 जज यह काम करेंगे तो यह प्रकरण कितने वर्षों में निपटाया जाएगा ?

महोदय, यह गंभीरता में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । कृपा करके सबसे पहले, जब आप यह बिल लाए हैं तो, यह भी चिन्ता करिए कि जजों की नियुक्ति, वेलफेयर कमीश्नर की नियुक्ति, डिप्टी कमीश्नर की नियुक्ति, उनके सब-आर्डिनेट की नियुक्ति तेजी से करवाई जा सकती है । आप यह पहला काम करेंगे, मैं यह आशा करता हूं । यहां कुछ काम शुरू भी हो गया है और तीन हजार प्रकरण निपटाए गए हैं, लेकिन आपको हैरत होगी यह जानकर कि एक पैसा केंद्रीय सरकार ने अभी तक उसका रिलीज नहीं किया है । कैसे काम होगा ? कितने दिनों तक काम होगा ? क्या आप 12 साल तक इस मुआवजे की राशि का निपटान करेंगे ? तब तक तो लोग वैसे ही मर चुकेंगे अनेकों बीमारियों से । इसलिए कृपा करके सभी वार्डों में वेलफेयर कमीश्नर, डिप्टी कमीश्नर की नियुक्ति करें, जिनको आप सिविल कोर्ट के अधिकार दे रहे हैं । इनकी तेजी से नियुक्तियां करने का कष्ट करें ताकि वे अपने काम में तेजी से लग जायें ।

अब मुख्य प्रश्न यह है कि आप मुआवजा किस आधार पर देना चाहते हैं ? सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश हैं और शायद यह निर्देश उस समय के जो गैस कमिश्नर थे, क्लेम कमिश्नर थे, जो डाक्यूमेंटेशन हुआ ,लोगों की बीमारियों का जो तौर-तरीका अपनाया गया, उससे मुझे बड़ा असंतोष है और जो राशि निर्धारित की गई हैं, वह तो इतनी कम है जिसमें किसी का गुजारा नहीं हो सकता है, वैसे ही लोग इतने वर्षों से भुगत रहे हैं । पहली श्रेणी में उन्होंने, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए एक लाख से तीन लाख रुपए तक रखे हैं । जो स्थाई रूप से विकलांग हो गए हैं, उनके लिए राशि 50 हजार से 2 लाख तक है और जो सीरियस इंजरी वाले हैं और कम इंजरी वाले हैं, उनके लिए 50, 20 और 10 हजार रुपए तक राशि का वितरण किया गया है, जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है । इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि जो दिशा-निर्देश हैं, इन पर एक नजर दोबारा डाली जाए और जो यह वर्गीकरण हुआ है, इसकी पुन: समीक्षा की जाए ताकि ठीक मुआवजा मिल सके ।

3.00 P.M. अभी पिछले दिनों में अखबार में पढ़ रहा था कि जो राशि आप दे रहे हैं उसमें अन्य देशों में और हमारे देश में कोई 90 गुना अंतर है । हमारे देश में मृत्यु कितनी सस्ती है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए कि यह दो-दो लाख रुपए जो आप दे रहे हैं । जबकि इस महंगाई के युग में दवाओं की तीन गुना ज्यादा कीमतें बढी हैं । अब अगर तीन गुना ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं तो क्या कोई इलाज कराएगा और क्या बीमारियों से वे मुक्ति पायेंगे । इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह राशि, मेरे हिसाब से जो दिशा-निर्देश में दी है, वह कम से कम शत-प्रतिशत दुगुनी अवश्य कर दी जानी चाहिए और इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए ।

3.00P.M.

अब मुख्य प्रश्न यह है कि आप यह राशि किसमें से बांटने वाले हैं ? अब आप कल्पना कीजिए कि कैसे अभी तक पक्षपात हुआ है या हमारे भोपाल के इस गैस ट्रेजेडी के प्रकरण को कितना कमजोरी से लिया गया है, उसकी पैरवी कमजोर हुई है, यह मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं । भोपाल के लोगों ने कहा कि हम हमारे मुकदमें लड लेंगे तो केंद्र ने कहा कि हम लडेंगे । अब आप अगर लडेंगे तो आपने 4700 करोड रुपए के दावे किए और समझोता किया है 750 करोड रुपए का । महोदय, इस विषय की गंभीरता आपके द्वारा पूरे सदन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं । इस प्रकार आपने दावे किए 4700 करोड रुपए के और समझोता 750 करोड रुपए का किया । क्या इसके पीछे कोई षडयंत्र काम कर रहा था । क्या कोई वैस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहा था या कोई निहित स्वार्थ था ? इतना झुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह समझौता हुआ जिससे भोपाल के लोगों में आज भी असंतोष बना हुआ है । तरह-तरह के पेटीशन आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और केवल 750 करोड रुपया समझौते में आया है । अब जो भी पैसा आ गया, वह भी ठीक ढंग से समय पर बंट जाए, यह भोपाल के लोगों की एक मांग है । अब यह राशि ब्याज सहित करीब-करीब 1300 करोड रुपए हो चुकी है । राशि भी करीब-करीब दुगूनी हो गई है लेकिन अभी तक उसका वितरण आरम्भ नहीं हुआ है । तो अब मैं मांग करता हूं कि कृपा करके केंद्र सरकार, जो मुआवजे में राशि आई है, उसमें कोई हेरा-फेरी करने की कोशिश न करे और जो राशि वहां के गैस पीडितों के लिए दी गई है, वह पूरी की पूरी राशि ब्याज सहित और हिसाब के साथ भोपाल के गैस पीडितों के लिए पर आवंटित की जानी चाहिए । अब मुआवजा राशि बंटने के बाद भी अगर कोई राशि बच जाए, बचने की उम्मीद तो नहीं है, तो वह भी भोपाल में उनके कल्याण के लिए ही खर्च करने की जरूरत है । ऐसा न हो कि आप इधर की राशि उधर एडजस्ट करें, अब तक यही हो रहा है ।

एक दुख-दायी समाचार है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह 750 करोड रुपए की जो राशि है, रिजर्व बैंक में जमा

[श्री नारायण प्रसाद गुप्ता]

है जो 1300 करोड़ होने आई है, शायद इस रुपए का दूसरे कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जरूर जानना चाहूंगा कि अगर यह गलत हो तो कृपा करके खंडन कर दें अन्यथा इस राशि को किसी दूसरे काम में नहीं लाया जाना चाहिए। फिर इससे जुड़ी हुई बात है कि क्या आप केंद्रीय सरकार से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस 750 करोड रुपए के अलावा विदेशों से आपके पास कितना पैसा आया है और किन-किन संस्थाओं ने दिया? मैं उनके नाम जानना चाहूंगा, आप चाहें किसी भी रूप में जवाब दें, जानकारी दें लेकिन कितना पैसा आया है, यह जनकारी अगर हाउस में मिलेगी तो मुझे खुशी होगा। बाद में मिले तो बाद में दीजिए।

लेकिन और किन किन नामों से आया कहां से आया वह राशि किसकी है और किसके ऊपर आप खर्च करने वाले हैं? वह राशि भी 750 करोड़ रुपए में जुड़ेगी और एक एक पैसा भोपाल के गैस पीडितों पर खर्च होगा। यह मैं आशा करके चलता हूं और मुझे भरोसा है कि मंत्री जी इस बारे में सदन को आश्वस्त करेंगे कि बाहर की राशि कितनी आई है? वैसे ही पैसा कम मिला और जो बाहर की राशि आई है उसका कोई अता-पता नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक महोदय यह भी तय किया गया था कि जबकि भोपाल वाले यह त्रासदी पूरी सदी तक भुगतने वाले हैं पूरी पीढ़ी एक या दो तीन पीढ़ी तक लोग भुगतने वाले हैं। इसलिये 50 करोड़ रुपए से आधुनिकतम अस्पताल बनाने की भी सिफारिश की गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह 50 करोड़ रुपए की लागत से जो अस्पताल बनना था क्या यूनियन कार्बाइड ने यह पैसा आपको दे दिया है और यदि दे दिया है तो कहां है और आप भोपाल में यह आधुनिक अस्पताल की शुरूआत कब तक करने वाले हैं? जनता के सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ है और वहां पर असंतोष व्याप्त है। अमेंडमेंट बिल से संबंधित जो जुडी हुई बातें हैं, उसका मैंने उल्लेख किया है। फिर इसके अलावा मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाना चाहता हूं। सवाल केवल मुआवजा राशि का नहीं है। यह तो वितरण हो जाएगी। लेकिन . . .

(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Just a minute. Just I wanted to check up. Earlier you talked about Rs. 750 crores and that there were pressures from outside and that is why it was settled at Rs. 750 crores. I checked it up and I have got it that it was the Supreme Court settlement as such. I think such words should not be uttered. (*Interruptions*) What he said was that there was pressure from outside and that is why it was Rs. 750 crores. He spoke like that. So, I do not want those to be on record because that reflects on the Supreme Court. Now, you go ahead.

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं अपने शब्दों को पुनः दोहराना चाहता हूं कि विदेशी दबाव का मैंने कोई शब्द प्रयोग नहीं किया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I will check up.

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : महोदय, मुझे मालूम नहीं, सुनने में गलती. . .

(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I will see the record. If any reflection is there on the Court, it will be expunged.

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : महोदय, विदेशी दबाव का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, मैंने उसका उल्लेख नहीं किया।

अब मैं आगे आना चाहता हूं कि मुआवजा राशि देने के बाद क्या समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी? वहां का पर्यावरण, लोगों को रोजगार और उनकी चिकित्सा, इन तीन बातों की व्यवस्था किस तरह से की जानी है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने 371 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान बनाकर यहां भेजा।

मुझे इस बात का दुख है और बड़े अफसोस के साथ दोहराना चाहता हूं कि 371 करोड़ रुपए में से केंद्र सरकार ने एक्शन प्लान के लिए 163 करोड़ रुपया ही मंजूर किया है । मैं पूरे हाउस से यह निवेदन करना चाहता हूं कि विषय की गंभीरता में लेवें जिसको मैं बार-बार कहना चाहता हूं, केंद्र ने सरकार को भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए कितनी मदद दी, यह मैं जानना चाहता हूं ? गैस पीड़ितों के लिए केंद्र का यह बहुत कम योगदान है । यह मेरा आरोप है और इतना कम है, क्योंकि पहला योगदान जो राहत के नाम पर दिया गया था वह वी० पी० सिंह की सरकार के समय दिया गया और वह राहत बट रही है । मैं उसमें बाद में आऊंगा लेकिन आगे के लिए स्थाई रूप से जो व्यवस्था करनी है उसके लिए जो एक्शन प्लान बना, उसको भी केंद्रीय सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है । कुल 163 करोड़ मंजूर किया और उसमें से भी लगभग 100 करोड़ दिया है । अब आप कल्पना कर लीजिए, मैं उदाहरण के लिए कहता हूं । नई डिस्पेंसरियों के लिए 37 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और उसमें 2.67 करोड़ रुपया केवल मंजूर हुआ । 37 करोड़ रुपए की डिस्पेंसरियों की मांगें और 2.7 करोड़ रुपया आप यहां से दे रहे हैं यह किस प्रकार का सौतेला व्यवहार है । मुझे इस बात की चिंता है । जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, अच्छा काम कर रही है । उनके जो सीमित साधन हैं, उसके मुताबिक वह सब कर रही है । लेकिन वह यह सब अपने भरोसे नहीं कर सकती है । केन्द्र सरकार अगर इस प्रकार का व्यवहार करने जा रही है कि डिस्पेंसरियों के लिए भी जो 37 करोड़ रुपए की मांग की थी उस पर मात्र दो-ढाई करोड़ रुपए मंजूर किए जा रहे हैं । तो यह समस्याओं के निदान का कोई तरीका नहीं है ।

भोपाल की जनता की शिकायत बनी हुई है । मैं आशा करता हूं कि यह 371 करोड़ रुपए के प्लान को आप जैसे का तैसा मंजूर करेंगे । अभी आने वाली पीढ़ियों में 10-20-25 साल तक ये इलाज चलते रहेंगे और वहां आधुनिक अस्पताल की जरूरत होगी । आज भी लोग भोपाल से आए हैं । उन्होंने बताया है कि अल्सर की शिकायत है । अभी अल्सर है, पहले कई प्रकार के आंखों के रोग जैसे कलर ब्लाइन्डनेस वहां पर हुए, फेफड़ों के रोग हुए और ऐसी अनेक गंभीर बीमारियां हुई हैं । इसलिए मैं आशा करता हूं कि इसको गंभीरता से लिया जाएगा ।

इसके बाद मैं और भी बातें जो महत्वपूर्ण है, जो इससे जुड़ी हुई हैं, कहना चाहता हूं । आप अगर मुआवजा देते हैं और एक्शन प्लान का रुपया मंजूर हो जाता है तो बहुत से लोगों को संतोष होगा लेकिन मुझे लगता है कि इसको कार्यान्वित करने के लिए कोई पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने की जरूरत है । यह मेरा सुझाव है । जब तक यह कमेटी नहीं बनेगी, इसका कार्यान्वयन भी होने वाला नहीं है, जिस गति से आप चल रहे हैं । कोई भी रास्ता निकालिए । मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूं, केवल बताना चाहता हूं कि इस गति से 12 साल लग जायेंगे । ऐसा लोगों का अनुमान है और यह सहायता आपकी निरर्थक हो जाएगी ।

इसके बाद मैं कुछ महत्व की बातों का उल्लेख करूंगा । अभी पिछले दिनों जब यह सोचा गया कि मुआवजे की राशि जब तक नहीं मिलती है, कोई न कोई राहत दी जानी चाहिए और यह राहत राशि के नाम पर, वी० पी० सिंह की सरकार जब थी, तब 310 करोड़ रुपया मंजूर हुआ लेकिन भोपाल के 56 वार्डों में से 36 वार्डों में ही यह राहत राशि वितरित की गई । इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है । एक वार्ड यहां का, एक वहां का, । गैस ऐसी चीज नहीं है कि एक वार्ड को प्रभावित करे और दूसरे को छोड़ दे । इसलिए मैं यह मांग करना चाहता हूं कि गैस राहत की राशि जो 36 वार्डों में दी जा रही है, वह 56 वार्डों में दी जानी चाहिए और अभी तो 36 वार्डों के भी एक लाख लोग इस राहत से वंचित हैं । इसके समर्थन में मैं कुछ कागजात प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

[श्री नारायण प्रसाद गुप्ता]

भोपाल की, मध्य प्रदेश की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है, पूरे हाऊस में सभी पार्टियों ने मिलकर यह संकल्प केंद्रीय सरकार को भेजा है कि 36 वार्डों के बजाय 56 वार्डों को 200 रुपए प्रति मास की मदद जो यद्यपि बहुत कम है, दी जानी चाहिए लेकिन आज तक केंद्रीय सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है और न उठाना चाहती है।

इसके बाद मैं वह पत्र पढ़ना चाहता हूं जो कि वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने 9 जुलाई, 1991 को प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी को लिखा था। वह इसका प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि वह क्या महसूस करते हैं। मैं उस पत्र को आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं उन्होंने लिखा है—

"You are aware of the grim tragedy that struck Bhopal in December, 1984, following the MIC gas leak. The question of compensation to the victims is under litigation and these issues may take some more time before we are anywhere near a final solution. The suffering of the people of Bhopal had received the highest attention eversince the tragedy and you would also recall that Shri Rajivji had personally visited Bhopal to get a first hand assessment of the dimensions of the problem. I happened to be the Chief Minister of Madhya Pradesh at that time and my government had initiated several steps for the rehabilitation of the victims. While no relief could ever compensate fully the loss of lives and livelihood, it was evident that the relief and the interim compensation will have to be both speedy and just. Clyearly, the State Government alone with its limited resources could not shoulder the financial burden and therefore the Government of India had stepped in with financial assistance."

सेकेंड पैरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है—

"The Department of Chemicals and Petro-Chemicals had taken a decision in April, 1990, to provide an interim relief of Rs. 200 per month to the gas-affected in 36 municipal wards of Bhopal. I understand that the assessment made at that time was that the number of gas-affected was 5 lakh and, accordingly, an interim relief of Rs. 300.30 crores was made available by the Government of India. However, apparently the Government of India has, during the discussions, also recognised that in the event of the number of gas-affected being more than 5 lakh, the Centre shall provide the additional funds required."

यह देखिए यह अर्जुन सिंह जी का पत्र है जो प्राइम मिनिस्टर को लिखा था—

"I understand that the State Government have moved the Department of Chemicals and Petro-Chemicals for help to all the eligible beneficiaries, whose number is 6 lakh."

उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि 36 वार्ड हैं जिनको इंटेरिम रिलीफ दिया जा रहा है। तो क्या आप जो बचे हुए 1 लाख हैं उनको भी राहत देने की शुरूआत की जाएगी?

"The State Government has requested for further financial assistance to the additional one lakh gas-affected persons."

5 लाख से सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। इनका खुद का कहना है कि यह असेसमेंट 5 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गया है। तो जो एक लाख लोग हैं उनको भी आप राहत देने का आश्वासन देंगे?

"It appears that no decision has yet been taken at the level of

the Government of India. During my recent visit to Bhopal, I have come across the plight of the gas-affected living in municipal wards other than the 36 wards already taken up for interim relief. The intensity of the Bhopal tragedy cannot really be confined to artificial boundaries of municipal wards and we owe it to the affected people of Bhopal that the interim relief is made available to all those affected by the tragedy. A detailed survey of the gas-affected has already been under taken and, if required, medical verification and documentation could be undertake further."

महोदय; यह मैंने उनका लिखा हुआ प पढ़ा जो यह प्रमाणित करता है । अाप कृपा करके इस सदन को आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि 5 लाख के बजाए पूरे 6 लाख तथा शेष 20 वार्ड इसमें छूट गए हैं । उनको तत्काल 200 रुपए प्रतिमास की अंतरिम राहत दें ?

दूसरी बात यह है कि कितना विरोधाभास है इसमें कि एक तरफ तो आप कंपेंसेशन पूरे शहर को देना चाहते हैं लेकिन अंतरिम राहत आप 36 वार्डों को दे रहे हैं । अगर कंपेंसेशन के वह हकदार हैं तो राहत के लिए उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए । तो आप जो बचे हुए 20 वार्ड हैं उनको भी राहत की राशि 200 रुपए प्रतिमास तब तक दी जानी चाहिए जब तक पूरा मुआवजा उनको नहीं मिल जाता ।

महोदय, एक शंका मैं और प्रकट करना चाहता हूं कि इस राशि के बारे में भोपाल में यह शंका प्रकट की जा रही है कि सरकार ने पिछले दिनों गैस राहत के नाम से एक ऐक्शन प्लान पर जो पैसा खर्च किया है वह मुआवजा राशि में से काट लिया जाएगा । यह भी चिन्ता का विषय है । मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि व सदन को आश्वस्त करें कि यह पूरी मुआवजा राशि वहां के गैस पीड़ितों की है, इसके अतिरिक्त कुछ प्रदेश की सरकार ने भी मदद की है, मैं उसकी सराहना करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्थिति को संभाला, उद्योग धंधे शुरू किए लेकिन केन्द्र की ओर से जैसा पचौरी जी कह रहे थे, कुछ हद तक उनकी बात सही है, कि 200 महिलाएं काम कर रही थीं लेकिन जब मदद नहीं दी जाएगी तो प्रदेश की सरकार बहुत दिनों तक इन सारे इंस्टीट्यूशंस को चालू नहीं रख सकेगी । कृपा करके यह राशि आप मंजूर करें । मैं समझता हूं कि विषय जितना कुछ मैं रख सकता था, मैंने उसको रखा है । मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए । इसको मुआवजे की राशि के लिए निगरानी समिति हो या पार्लियामेंटरी कमेटी का गठन किया जाए जो लगातार गैस एफेक्टेड लोगों के लिए दिए जाने वाले पैसे पर निगाह रखे । 8 साल में आप उनको यह मुआवजा दे रहे है । वो एक टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाकर जो राशि मंजूर हो, कम से कम 300 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए मंजूर की जाए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Very constructive speech. Shri Pachouri. He is also from Bhopal.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, विश्व के मानचित्र पर भोपाल प्रमुख रूप से दो बातों के लिए जाना जायेगा । दो-तीन दिसम्बर, 1984 को जो गस त्रासदी हुई यह विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटना मानी गई । उस समय हजारों लोग चिरनिद्रा में सो गये । लाखों लोगों के चेहरे आज भी मुरझाये हुए हैं । एक तो यह वजह है जिसकी वजह से भोपाल दुनिया में जाना जा रहा है और दूसरी वजह है भोपाल के गौरव सपूत हमारे पूर्व चेयरमैन डा० शंकरदयाल शर्मा जी भारत के राष्ट्रपति बने । ये दोनों बातें हैं जिनकी वजह से भोपाल का नाम जाना जा रहा है । एक दुख भरी बात है और दूसरी खुशी की बात है ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : भोपाल का ताल, तालों में ताल बाकी सब तलैया ।

श्री सुरेश पचौरी : जो कुछ गौतम जी ने भोपाल की प्रसिद्धि की बात कही मुझे खुशी है। मानवीय संवेदनाओं से जुड़ कर उन मुद्दों को सम्मानित सदस्य गुप्ता जी ने छेड़ा है जिससे भोपाल का आम आदमी प्रभावित है और उन्होंने बड़े अच्छे ढग से इसका चित्रण किया है। उन समस्याओं का जिक्र किया है जिन समस्याओं से भोपाल प्रभावित है। आज यह स्थिति हर भोपालवासी की है। जो गैस से पीड़ित लोग हैं उनकी तड़प हर भोपालवासी अपनी तड़प मानकर चलता है। जब भी भोपाल गैस त्रासदी पर डिसकशन हुआ है प्राय: मैंने सब में भाग लिया है क्योंकि मैं इसी भोपाल से हूं। न केवल इस भोपाल से हूं बल्कि उस क्षेत्र से हूं जिस क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई और उस वक्त मैं वहीं मौजूद था जो दो-तीन दिसम्बर, 1984 कयामत की रात थी, जब यह घटना घटी।

मान्यवर जब भी भोपाल गैस त्रासदी पर कोई भी चर्चा होती है तो आंखों के सामने वही सारी घटना गुजरने लगती है। हमने अपने इन हाथों से 25–25, 50–50 लोगों को एक साथ दफनाया, एक साथ जलाया था। जब लाशों को जलाने हेतु पर्याप्त लकड़ी भी नहीं थी तो कैरोसीन ऑयल से किसी ढंग से उनको जलाया गया था। यह बहुत दु:ख की बात है कि हम उनसे सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा कर रहे है। यह निश्चित रूप से एक ऐसा मानवीय पहलू है कि उस पर हम राजनीति से ऊपर उठकर संवेदना की दृष्टि से विचार करेंगे और इस निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे कि भोपाल के गैस से प्रभावित लोग संतुष्ट हो सकें जो न केवल वर्तमान में बड़ी मुश्किल से अपना जीवनयापन कर रहे हैं बल्कि उनको अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। इस माने में कि उनकी जो अगली पीढ़ी है, आप ने समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ा होगा। वह अगली पीढ़ी भी कुछ इस ढंग की पैदा हो रही है कि वह अपंग पैदा ही रही है। किसी का एक कान है तो किसी की नाक बेकार है और किसी की कोई अन्य दयनीय स्थिति है। यह सारी स्थिति है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ। उसको 9 माह गुजर गए, लेकिन अभी भी मौतों का सिलसिला जारी है। खुद राज्य सरकार की रिपोर्ट यह कहती है कि प्रति दिन भोपाल गैस ट्रेजिडी की वजह से एक आदमी की मृत्यु हो रही है। लेकिन जो वहां की फीगर्स हैं वे यह बताते हैं कि प्रति दिन जो मौतें भोपाल में हो रही हैं वह औसत 10 हुआ करती थीं वे अब 25 हो रही हैं। इसके बाद भी हम लोग राहत और पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उनका इलाज भी समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। उन्हें जो सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए वे वांछित सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। यह माननीय दृष्टि से बहुत ही अफसोस और दुख की बात है, और ऐसा माना जाता है कि 2–3 दिसम्बर, 1984 से अभी तक लगातार लोग काल के गाल में भोपाल गैस त्रासदी की वजह से जा रहे हैं और जो मौत की दावों का सरकारी रजिस्ट्रेशन हुआ है वह 13 हजार से ऊपर का हुआ है। दूसरी ओर इंडियन मेडिवल रिसर्च कौंसिल की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह आंकलन हुआ है कि 87 प्रतिशत लोग आज भी भोपाल त्रासदी से प्रभावित हैं और इसके आफ्टर इफेक्ट भी हो रहे हैं। इस बात का भी जिक्र है कि जो नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं, दुर्भाग्य से वे भी अपंग पैदा हो रहे हैं। वहां के सॉयल और वॉटर की जो रिपोर्ट है उसकी कापी मेरे पास है। जो लेबारेटरी की टेस्ट रिपोर्ट है इसमें इस बात का जिक्र है। मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं–

> "High levels of toxic materials were found in the samples from the waste storage area. One of the most toxic dichlorobenzenes was also found in the community's drinking water. Dichlorobenzene damages liver, kidneys and respiratory system. Polynuclear aromatic hydrocarbons a group of known cancer-causing agents, were also discovered in the waste impoundment area."

यह वहां की स्थिति है । जहां वहां पर पोल्यूटड वाटर मिल रहा है वहां सायल से बहुत विषैले वैपस निकल रहे हैं जिससे वहां के लोग प्रभावित हो रहे हैं । हम लोग उसके आफ्टर इफैक्ट को रोकने के लिए पर्याप्त कदम अभी तक नहीं उठा पाये हैं । माननीय मंत्री जी जब इस बिल को प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने एक 'मिक' गैस का जिक्र किया था । मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक उनसे यह कहना चाहूंगा कि भोपाल की आज भी यह स्थिति है कि यूनियन कारबाइड को जब लायसेंस दिया गया था तो लायसेंस देते समय यह शर्त रखी जाती है कि जो भी प्रोडक्ट पैदा होगा उसका अगर कोई एडवर्स इफैक्ट होगा या कोई पोयजन निकलेगा तो उसका इलाज क्या होगा ? यह बताया जावे । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है कि इस मिक गैस का इलाज क्या है । सरकार ने इस संबंध में यूनियन कार्बाइड से कोई बात नहीं की । जहां तक कम्पेंसेशन की बात है वह वित्तीय पहलू है, लेकिन माननीय पहलू यह है कि उन पर इस बात के लिए दबाव डाला जाय कि मिक गैस का इलाज क्या है, यह वे बतायें । अभी तक भोपाल में 17 दावा अदालतें चल रही हैं, काम कर रही है और उसमें केवल तीन सौ प्रकरणों का निपटारा किया है । यदि यही रफ्तार रही तो लगभग 15 वर्ष तक लग जाएंगे जब तक इन प्रकरणों का निपटारा होगा । निपटारा होने के बाद गैस पीड़ितों का क्लेम कर पायेंगे कि यह ए कैटेगरी में है, बी कैटेगरी में है, सी में है, बी डी में है सीडी में है या सीई सीएफ में है । मान्यवर, जो गैस से प्रभावित लोग हैं, स्थिति यह है कि सप्ताह में तीन दिन वे काम करते हैं और तीन दिन इतने थक जाते हैं कि वे तीन दिन आराम करते हैं । तो जब तक उनके क्लेम का फैसला इन दावा अदालतों से होगा या जो आपने वेलफेयर कमिश्नर की नियुक्ति की है जब इन अदालतों के फैसलों के बाद क्लेम के लिए वहां के लोगों को जाना होगा तब तक उनमें से आधे स्वर्ग: सिधार गए होंगे ।

तो इसलिए सरकार के पास इस संबंध में क्या योजना है ताकि वह इस विलम्ब में कमी कर पाए और देरी से फैसले न हो पायें । इस संबंध में सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए । यह इसका एक बहुत गंभीर पहलू है ।

मान्यवर, सेवन इयर ऐक्शन प्लान भोपाल गैस पीड़ितों के लिए दिया गया था और इसमें 371.29 करोड़ रुपए दिए गए थे । इसमें से 163 करोड़ रुपए यहां से केंद्र सरकार द्वारा दिए गए थे । यद्यपि फाइनेंस कमीशन ने इस बात की अनुशंसा की थी कि यह सारा का सारा दिया जाय लेकिन वह नहीं दिया गया । फिर यह कहा गया कि वह किस्तों में दिया जाएगा । लेकिन जो मैडिकल फैसिलिटीज हैं मुझे वह दिन याद आ रहा है उस समय हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी वहां मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कम्पनसेशन पर चर्चा हो रही थी । उस समय उद्योग मंत्री श्री वेंगल राव थे । जब हमने उस समय यह बात उठाई तो इस बात के उठाने पर राजीव गांधी जी के निर्देश पर वेंगल राव ने यह स्वीकार किया कि मेडिकल फासिलीटीज जो गैस पीड़ितों को प्रदान की जा रही हैं वह जारी रहेंगी और उसके लिए अलग से वित्तीय मदद प्रदान की जायेगी । जितनी वित्तीय सहायता उन्हें मिलनी चाहिए वह वित्तीय मदद उनको संतोषजनक ढंग से नहीं मिल पा रही है । इसलिए सरकार मनानीय दृष्टि से जब कम्पनसेशन की बात पर गौर करे तो उसे यह भी फैसला करना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार को पर्याप्त वित्तीय मदद गैस पीड़ितों के मैडिकल वाइंट आफ व्यू से प्रदान की जाये, ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह है । लेकिन इसी के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि जो वित्तीय मदद भोपाल गैस पीड़ितों को प्रदान की जा रही है, वह मदद किसी और मद में न चली जाय, किसी और खाते में वह पैसा खर्च न किया जाय । यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है ।

जो ऐक्शन प्लान प्रस्तावित है राज्य सरकार का, राज्य सरकार ने अपनी

[श्री सुरेश पचौरी]

जिम्मेदारी से हटकर भोपाल गैस पीड़तों के लिए जो एक्शन प्लान, दिया है, उस एक्शन प्लान में उन सारी चीजों का समावेश किया है जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी हुआ करती है। मुझे खुशी है कि भोपाल गैस पीड़ितों के दर्द का अहसास सारे राजनैतिक दलों ने किया है। लेकिन जो राज्य सरकार ने एक्शन प्लान प्रस्तुत किया है। 371 करोड़ रुपए का, उसमें 163 करोड़ रुपया केंद्रीय सरकार ने सेक्शन किया है और मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता चाहता हू। गैस पीड़ितों की मदद हेतु 10 करोड़ रुपया वार्षिक, जो कि गैस चिकित्सालयों के लिये दिया गया था। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे चिकित्सालय हैं जो उस क्षेत्र में नहीं हैं। जैसे कि जयप्रकाश अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल, काटजू अस्पताल, लेकिन इनमें भी वह पैसा ट्रासफर कर दिया गया है। मेरे पास फिगर्स हैं जो उन्होंने प्रस्तावित की है। जवाहरलाल नेहरू हास्पिटल के लिये सेंलेरीज और आफिस एक्सपैंडीचर पर 641.55 लाख। अगर भोपाल में गैस त्रासदी न होती तो क्या इस अस्पताल की सेलरी राज्य सरकार नहीं देती ? लेकिन इसको एक्शन प्लान में जोड़ दिया गया गया है। इसी तरह से जितना पैसा गैस पीड़ितों को रीहैबलीटेशन के लिए मिलना चाहिये था, वह भी ट्रांसफर हो रहा है। इसलिये इसके ट्रांसफर को रोका जाय। कोठा सुल्तानाबाद का जो हास्पिटल है उसमें 433 लाख रुपये, जो एक्सपेंडीचर के राज्य सरकार को करना चाहिए वे दिखाये हैं। मलेरिया यूनिट जो कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी होती है वह उन्होंने ऐक्शन प्लान में दिखाया है।

इस एक्शन प्लान से उस खर्च को वसूल कर रहे हैं। इसके लिए 175 लाख रुपया इन्होंने दर्शाया है। स्मोकलेस चूल्हों के लिए 15 लाख रुपया दर्शाया है जबकि मिनिस्ट्री आफ इनर्जी का पैसा उसमें जाता है। कोलार वाटर सप्लाई तथा अन्य बहुत सारी चीजें हैं। स्कूल एजूकेशन का मामला है। स्कूल एजूकेशन पर 92 लाख रुपए लगे हैं। इस तरह से जो पैसा दूसरी मदों में गैस पीड़ितों के मद से खर्च हो रहा है, वह पैसा दूसरी मदों में खर्च नहीं किया जाना चाहिये। यह मेरा आपसे आग्रह है।

उपसभाध्यक्ष महोदय जब मैंने अपनी बात प्रारम्भ की थी तो मैंने सिलाई सेंटर्स के बारे में बात उठाई थी। 25 जुलाई से यह सिलाई सेंटर बन्द हो गये। (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : इस महीने की 25 तारीख को ?

श्री सुरेश पचौरी : 25 जुलाई को जिस दिन भोपाल के गौरव सपूत डा० शकर दयाल शर्मा शपथ ले रहे थे, जो बात मैंने शुरू की उसमें तारतम्य है, भोपाल, विश्व के मानचित्र में दो बातों के लिए जाना जाता है, एक है भोपाल गैस की ट्रेजडी और दूसरा भोपाल के राष्ट्रपति तो भोपाल का राष्ट्रपति जिस दिन शपथ ले रहा था 25 जुलाई, 1992 को उसी 25 जुलाई को राज्य सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए जो सिलाई सेंटर चल रहे थे, उनको बन्द कर दिया। यह सिलाई सेंटर जिस समय राज्य सरकार ने प्रारम्भ किये थे, मेरे पास उस आदेश की कापी भी है। मान्यवर, 27 मार्च, 1987 के म०प्र० शासन के आदेश के द्वारा सिलाई सेंटर प्रारम्भ किये गये थे। उस समय ऐसा निर्देशित किया गया था कि राज्य उद्योग निगम के द्वारा जो भी यूनीफार्म बनवाई जाएंगी वह उन्हीं महिलाओं के द्वारा बनवाई जाएंगा जो भोपाल गैस से अफेक्टेड हैं। उन्होंने अपने अपने सेंटर्ज प्रारभ किये थे। सारी यूनीफार्म्स वही सप्लाई करती थीं। यूनीफार्म भी किस रूप में करती थीं। राज्य सरकार के आंकड़े हैं। माननीय मंत्री जी को राज्य सरकार यह कह सकती है कि हमने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा आपसे मांगा था, आपने क्यों नहीं दिया। लेकिन राज्य उद्योग निगम को 24 रुपये 82 पैसे को एक यूनीफार्म पड़ती है। यह राज्य सरकार के आंकड़े हैं। वह इस यूनीफार्म

को 27 रुपये में दूसरी जगह शिक्षा विभाग आदि में सप्लाई करते हैं यानी राज्य सरकार प्रोफिट में थे। एम०पी० इंडस्ट्रीज कारपोरेशन भी प्रोफिट में थी। ऐसा तो नहीं है कि सिलाई सेंटर बन्द हो गये तो यूनीफार्म बनना भी बन्द हो जाएंगी। जो यूनीफार्म स्कूल या दूसरी जगह भेजी जाती थी वह जारी रहेंगी और उनका बनवाना भी जारी रहेगा। इससे गैस पीड़ित महिलाओं को रोजगार मिलता था। एम०पी० इंडस्ट्रीज कारपोरेशन भी लाभ में रहती थी। इन सिलाई सेंटर्ज के बन्द करने का कोई औचित्य नहीं है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका इसमें हस्तक्षेप चाहता हूं।

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): बहुत दुखद बात है (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य: कोई दूसरा काम देने के लिए बन्द किया गया है (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): दूसरा काम देने से पहले शायद बन्द नहीं करना चाहिये था।

The Minister should persuade the M.P. Government that they should continue it till another avenue has been provided to them. Our MPs from Bhopal also can persuade that till other vocations are found out, let that be continued in the interest of humanity.

श्री अजीत जोगी: बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है (**व्यवधान**)

श्री संघ प्रीय गौतम: यह तो मानवीय विषय है। (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी: माथुर साहब, अग्रवाल साहब को सुनने दीजिये (**व्यवधान**) दोनों आपस में बात कर रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री सुरेश पचौरी: मान्यवर, स्पेशल इंडस्ट्रीयल एरिया.. (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Narayan Prasad had given very constructive suggestions. Because that was a calamity we have to see it with a human angle.

श्री सुरेश पचौरी: मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहित हूं कि आपने चेयर से निर्देश दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई):

I have requested them. I can't give direction. I can only tell the Minister and our friends to persuade.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: The Chair is being obeyed, Sir.

श्री अजीत जोगी: अध्यक्ष के निर्देश का मतलब डायरेक्शन ही होता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): ओ० के०

श्री सुरेश पचौरी: मान्यवर, गैस पीड़ितों को रोजगार देने की बात कही गई थी। 10 हजार लोगों को, स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया में रोजगार देने की बात कही गई थी। 6 करोड़ रुपये राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार ने दे भी दिये है। लेकिन वह स्पेशल इंडस्ट्रीयल एरिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। यह बहुत दुख की बात है। राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देशित किया जाना चाहिए। यहां तक कि राज्य सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में इस चीज का उल्लेख किया है कि स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया खोले जाने के बाद 10 हजार लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएंगा। वह भी अभी तक प्रारभ नहीं हुआ है। उसे प्रारंभ कर दिया जाए। 500 बिस्तर वाले अस्पताल का जिक्र माननीय गुप्ता जी ने किया। मुझे खुशी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि यूनियन कार्बाइड की गैस से प्रभावित लोगों के लिए 500 बिस्तरों का अस्पताल वहां खोला जाए। लेकिन 500 बिस्तरों

[श्री सुरेश पचौरी]

वाला अस्पताल किस स्थान पर खोला जाए? मेरा ऐसा आग्रह है कि उस स्थान पर खोला जाए जहां गैस रिसी। यूनियन कार्बाइड के आस पास का क्षेत्र, जहां गैस से प्रभावित लोग सर्वाधिक हैं उस स्थान पर खोला जाए, न कि उस स्थान पर जहां कि मध्य प्रदेश के गैस मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है माली-खेड़ी, जहां के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया है। मेरा आग्रह है कि मंत्री जी इस संबंध में जरूर ध्यान देंगे..

श्री अजीत जोगी: पचौरी जी के घर के पास बहुत अच्छी जगह है.. **(व्यवधान)** वहां खोलना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): मैंने देखा है उनका घर।

श्री संघ प्रिय गौतम: Just on a point of information, अभी यह बताया गया कि सारे भोपाल शहर की जनता प्रभावित हुई है... **(व्यवधान)** तब वह अस्पताल शहर के अंदर खुलना चाहिए। बाहर खोलने का क्या मतलब है।

श्री सुरेश पचौरी: गुप्त जी के साथ भोपाल हो आइये फिर आप अच्छे ढंग से बोल पाएंगे।

डा० ईश्वर चन्द्र गुप्त: (उत्तर प्रदेश): यह आरोप ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य का यह आरोप ठीक नहीं लग रहा है। ऐसी मंशा नहीं है। जहां भी उचित है वहां खोला जा रहा है।

श्री सुरेश पचौरी: मझे खुशी होगी यदि मालीखेड़ी में न खुलकर वह यूनियन कार्बाइड के आस पास खोला जाए... **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी: पुराने भोपाल में खुलवाइये.. **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): आप दोनों मिलकर तय कर लीजिएगा.. **(व्यवधान)** बोलिए...

(व्यवधान)

श्री अजीत जोगी: भोपाल गैस ट्रेजेडी से इंदिराजी और राजीवजी का ... **(व्यवधान)** क्या संबंध है.. **(व्यवधान)**

श्री संघ प्रिय गौतम: कौन नहीं जानता कि रायबरेली का कितना काम हुआ।

श्री अजीत जोगी: इस पर ऐसे बड़ लीडरों का नाम व्यर्थ में मत लीजिए।

श्री सुरेश पचौरी: मान्यवर आदरणीय राजीवजी के नाम का उल्लेख मान्यवर सदस्य ने किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि भोपाल गैस ट्रेजडी जब हुई थी दो और तीन दिसम्बर को तो राजीव गांधी जी अपना चुनावी दौरा कैंसिल करके चार दिसम्बर को भोपाल पहुंचे थ। में यह आरोप नहीं लगा रहा हूं कि विरोधी पार्टी का कोई नेता क्यों नहीं पहुचा। क्योंकि माननीय सदस्य ने उनके नाम का उल्लेख किया इसलिए मैं यह कहना अपना फर्ज समझता हूं कि राजीवजी भोपाल गैस पीड़ितों के प्रति इतने चिंतित थे कि न केवल वे वहां गये बल्कि उन्होंने समय समय पर इस बात की जानकारी ली कि वहां के लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की गयी हैं कि नहीं और जब भी उन्होंने भोपाल का दौरा किया उन्होंने यह कोशिश की कि भोपाल गैस ट्रेजडी जिस स्थान पर हुई उससे प्रभावित लोगों से जाकर वे उसी स्थान पर मिलें और इस बात की वे जांच पड़ताल करें कि उनके हक को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था की गयी है वह उन्हें मिल पा रही है कि नहीं।

मान्यवर मैं एक और मांग केन्द्रीय सरकार से करना चाहूंगा कि राज्य-

सरकार द्वारा जो 197 करोड़ रुपया भोपाल गैस एक्शन प्लान में खर्च किया गया उसकी समीक्षा की जाए। जैसा मान्यवर सदस्य ने कहा कि समय समय पर मानीटरिंग होनी चाहिए। निश्चित रूप से सभी दलों के सदस्यों की समिति बननी चाहिए जो इस बात की जांच करे कि भोपाल गैस इफेक्टेड लोगों के लिए जो पैसे अलग अलग मद में प्रदान किये गये वे किसी और मद में ट्रांसफर न हो पाएं। उसी मद में उनका उपयोग हो और यदि दुरूपयोग हो रहा है या गैर जरूरी कार्यों में उसका ट्रांसफर किया जा रहा है तो वह रोका जाए।

अब मैं उस मुद्दे पर आऊंगा जिस आधार पर उनको कम्पेनसेशन दिया जा रहा है। यह कम्पेनसेशन मेडिकल वर्गीकरण के आधार पर दिया जा रहा है। अब यह बात कही जा सकती है कि वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला हो चुका है, तो इसलिए उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उन बिंदुओं को चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धृत करना चाहूंगा। 41 में लिखा है आनरेबल जस्टिस ने–

> "We may, at this stage, have a brief look at the work of medical evaluation and categorisation of health status of affected persons carried out by the Directorate of Claims. It would appear that on 31st October 1990, 6,39,793 claims had been filed."

इसके हिसाब से, मान्यवर, जो आंकड़े दिये गये है वर्गीकरण के––नम्बर आफ मेडिकल फोल्डर्ज प्रिपेयर्ड दिया है 3,61,966। और भी आगे है नम्बर आफ फोल्डर्ज इवैल्यूएटिड 3,58,712 नम्बर आफ फोल्डर्ज कैटेग्राईज्ड 3,58,712 नो इंजरी 1,55,203 जोकि "ए" कैटेगरी में रखा गया है।

इस सारे का मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि यह जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था यह डाइरेक्टोरेट आफ क्लेम्स द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर किया था। डाइरेक्टोरेट आफ क्लेम्स ने किस आधार पर वह रिपोर्ट या यह आंकड़े प्रस्तुत किये थे, जो वहां के डाक्टरों ने जांच की थी, डाक्टरों ने मान्यवर पूरी जांच नहीं की थी। 6,39,793 क्लेम्स में से केवल 3,61,166 की मेडिकल जांच हुई।

मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि जो अस्पताल में चले गये उनकी जांच हो गई जो नहीं गये उनकी जांच नहीं हुई। खुद राज्य सरकार ने जो अलग-अलग कैटेग्रीज दी हैं उसमें उन्होंने इस चीज का उल्लेख किया है कि नो इन्जूरी वाले 1,55,202 हैं।

एक रिपोर्ट डाइरेक्टोरेट आफ क्लेम्स की है। जो भी मैथोडालोजी अपनाई गई वह बहुत अनसाइंटिफिक थी। अनसाइंटिफिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि गैस से अफैक्टेड लोगों के लिए जो टैस्ट होना चाहिए, जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होना चाहिए, एक्सरसाइज टालरेंस टेस्ट होना चाहिए, आफथेलमिक टेस्ट होना चाहिए, यह सारे टेस्ट नहीं किये गये। यह डाक्टरों तक ने स्वीकार किया है कि यह टैस्ट नहीं किये गये। जब यह सारे टैस्ट नहीं किये गये तो किस आधार पर वर्गीकरण हुआ और किस आधार पर यह कैटेगरी ए० बी० सी० बी० डी०, सी० ई०, सी० एफ० बनाई गई? इस बात का कोई औचित्य नहीं है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि इस संबंध में माननीय मंत्री जी विचार करें।

दूसरी जो सब से बड़ी बात है आफ्टर इफेक्ट्स की––उनसे लोगों को जो प्रभाव पड़ता है, उसके पड़ने से उन लोगों को कम्पेन्सेशन द्वारा पर्याप्त मदद दी जाए उसकी क्या व्यवस्था इस बिल में माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं, इस चीज का कोई उल्लेख नहीं है।

[श्री सुरेश पचौरी]

इससे वह लोग जो जायज़ लोग हैं, जो वाकई ही गैस से प्रभावित लोग हैं, उनको नही न्याय नहीं मिल पायेगा, जिस ढंग से वर्गीकरण किया गया है। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि जो कैटेग्राइज़ेशन किया गया है, वह बहुत गलत ढंग से किया गया है और इससे करीब 43 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनका कि अभी तक सही मेडिकल एक्जामिनेशन नहीं हो पाया है। वह उस कंपेन्सेशन लेने से वंचित रह पायेंगे ऐसा आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि यह जो महत्वपूर्ण टैस्ट होते हैं, लंग फंक्शन टैस्ट वगैरह के यह सारे टैस्ट डाक्टर नहीं ले पाये हैं।

एक और भी जो महत्वपूर्ण बात है, मान्यवर वह बहुत ही गंभीर बात है। अगर भोपाल का नक्शा आप गौर से देखें तो यूनियन कार्बाइड के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वह सब से ज्यादा अफैक्टेड होने चाहिएं लेकिन यूनियन कार्बाइड के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वह तो कम प्रभावित हुए हैं, जो वर्गीकरण है, उसमें वह लोग तो कम प्रभावित हुए हैं लेकिन जो दूर रहने वाले लोग हैं वह ज्यादा प्रभावित हुए हैं ऐसा राज्य सरकार की रिपोर्ट में है जो गलत है। यह बहुत गंभीर बात है। मेरे पास वह फिगर्ज हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वह कि वार्ड नं० 5 ताजमहल, ताजमहल यद्यपि शाहजहांबाद क्षेत्र में **आता** है, जो वर्स्ड इफैक्टेड एरिया रहा है उसमें जो सी० एफ० कटेगरी यानी सब से वर्स्ड कटेगरी है, उस ताजमहल में मैं भी रहता आया हूं, वह उसमें जो सब से वर्स्ड कटेगरी के जो लोग हैं। जो वार्ड वाइज कटेगराइज़ेशन किया है डायरेक्टोरेट आफ क्लेम्ज ने वह सरकारी आंकड़े मेरे पास हैं। उसमें वार्ड 5 की संख्या 2 है। जो 39 वार्ड हैं अप्सरा टाकीज़ बोर्ड आफिस जो न्यू भोपाल एरिया है, मैं यह नहीं कहता कि गैस वहां नहीं गई होगी, मैं यह भी दावा नहीं करता कि वहां इंफैक्ट नहीं हुए होंगे, लेकिन मोस्ट इफैक्टेड यानी वर्स्ड इफैक्टेड लोगों की संख्या उस आंकड़े के हिसाब से 3 बताई गई है। वार्ड 28 और 29 जो जिसी चौराहा जहांगीराबाद का क्षेत्र है वह दो-दो बताई गई है। इस प्रकार का वर्गीकरण इन्होंने किया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा मोहल्लेवार या वार्डवाइज मैं केवल संकेत में यह बात कहना चाहूंगा कि मेरे पास भोपाल का पूरा का पूरा नक्शा है। भोपाल यूनियन कारबाइड जहां पर है उस यूनियन कारबाइड के आस-पास का जो वर्गीकरण किया है वह संख्या प्रभावितों की कम है और दूर जो किया गया है वह संख्या ज्यादा है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह जो वर्गीकरण दिखाते हुए जो संख्या माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, वह जो सरकारी दावा कर रहे हैं, मैं भोपाल का वासी होने के नाते यह दावा कर रहा हूं कि यह संख्या बिलकुल गलत है और वर्गीकरण जो किया गया है वर्गीकरण सही आधार पर नहीं किया गया है। इसलिए पुनः वर्गीकरण किया जाना चाहिए यह बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा, जो इन्होंने कटेगरीज़ बांटी है उसमें "ए" कटेगरी यानी नो इंजरी उन्होंने बताई है एक लाख 55 हजार 203 यानी कोई इंजरी ही नहीं। जबकि भोपाल का आम आदमी जो 36 वार्ड का है वह प्रभावित हुआ है। वहां आज भी जो वाटर है मैंने रिपोर्ट यह वार्ड फाईल रिपोर्ट का जिक्र किया है, पोल्यूटेड वाटर मिल रहा है, आज भी उसका प्रभाव हो रहा है और इनकी रिपोर्ट "ए" कटेगरी में नो इंजरी में यह बता रही है एक लाख 55 हज़ार 203, "बी" कटेगरी टैंपोरेरी इंजरी बता रही है एक लाख 73 हजार 382, "सी" कटेगरी परमानेंट इंजरी बता रही है 18,922, बी प्लस डी० कटेगरी बता रही है 7172 और जो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट वाली जो इंजरी बता रही है वह 40 है, जो कि अब संख्या, जो मुझे सरकारी आंकड़े दिए गए हैं वह संख्या करीब 44 बताई है। 44 केवल परमानेंट लवल की इंजरी हुई

है। यह तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो वर्गीकरण के आधार पर डाटाज दिए गए है वह बिल्कुल गलत है और जो इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च हुई थी केन्द्रीय सरकार के फैसले पर, उसने अपनी 1990 की रिपोर्ट में इस बात को इंगित किया है, माननीय मंत्री जी अगर चाहें तो वह रिपोर्ट देख लें कि 83.62 परसेंट लोग आज भी फेफड़े की बीमारी से प्रभावित हुए हैं। मतलब उनको गैस का इफैक्ट हुआ है। लेकिन इस हिसाब से जो अभी नो इजरी दिखा रहे हैं उस आधार पर तो 43 परसेंट लोग वंचित हो जायेंगे जो यह बता रहे हैं कि उनको कोई बीमारी ही नहीं हुई है, जबकि गैस का जो आफ्टर इफैक्ट हो रहा है 40 से 50 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो गैस द्वारा पैदा की गई बीमारियों से ग्रसित हैं। ये सारी बातें हैं। इसलिए मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि डाइरेक्टोरेट के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं वह आंकड़े सही मायनों में जो मल्टी-नेशनल कंपनी थी यूनियन कारबाइड उसके हितों को दृष्टिगत रखते हुए दिए गए हैं। मल्टी-नेशनल कंपनी यूनियन कारबाईड के वकील ने कोर्ट में इस बात को कहा था कि इनको कंपेंसेशन 163 करोड़ रुपये दे दिया जाए। मैं इस बात का पक्षधर था कि जो कंपेंसेशन दिया जा रहा है वह एमाउंट पर्याप्त नहीं है। कोई भी राशि देकर मौत को नहीं आंका जा सकता, लेकिन फिर भी मानवीय दृष्टि से जो राशि दी जा रही है वह तो पर्याप्त है ही नहीं। लेकिन यूनियन कार्बाइड के वकील जिस बात को कह रहे हैं, वही राशि केन्द्रीय सरकार दे, यह बहुत-बहुत आपत्तिजनक बात है। यहां मैंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि राज्य सरकार भोपाल गैस ट्रेजेडी से संबंधित जो पैसा दिया जा रहा है, दूसरे मद में उसको डायवर्ट कर रही है। उपसभाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को खुद समुचे कदम उठाना चाहिए वह कदम नहीं उठा पा रही है वहां केन्द्रीय सरकार की भी जिम्मेदारी और जवाबदारी हो जाती है कि वह मानवता के नाते खुद इसके लिए एक मॉनीटरिंग कमेटी बनाए, खुद मंत्रीजी वहां की यात्रा करें और देखें कि भोपाल में गैस पीड़ित लोगों की क्या दशा है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He should take both the Members along with him. गुप्ता जी और वह दोनों हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): और भी जो भोपाल के हों, वह सब मिलकर जाएं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Whenever he goes there, he should take at least both these Members along with him.

श्री सुरेश पचौरी: मान्यवर, मध्य प्रदेश सरकार के जो आंकड़े हैं, उसके आधार पर 30 अक्टूबर, 1990 तक 6 लाख 39 हजार 799 लोगों ने दावा फॉर्म भरे जिसमें से 3 लाख 61 हजार 166 लोगों की मेडिकल जांच की गयी यानी पूरी मेडिकल जांच भी नहीं की गयी। और फिर 3 लाख 58 हजार 712 लोगों को विभिन्न कैटेगरीज में बांटा गया है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 3 लाख 58 हजार 712 गैस पीड़ितों में से 1 लाख, 55 हजार 203 लोगों को गैस से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ऐसा इनकी रिपोर्ट दर्शाती है जोकि बहुत ही आश्चर्यजनक रिपोर्ट है। ये सारी बातें हैं, इनके आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि भोपाल में सौ फीसदी में से 43 फीसदी लोगों की सेहत पर गैस का कोई असर नहीं हुआ है। यदि इन आंकड़ों पर हम भरोसा कर लें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे। इन नतीजों पर पहुंचने के बाद इन कैटगरीज के हिसाब से यदि मेडिकल जांच के आधार पर कंपेनसेशन दिया जाएगा तो भोपाल में लोगों को जो कंपेनसेशन मिलना चाहिए, वह सौ में से 94 फीसदी लोगों को नहीं मिल

[श्री सुरेश पचौरी]

पाएगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट यह दर्शाती है कि सौ में से 80 लोगों का अभी ऑप्थैल्मिक टेस्ट नहीं हुआ है। गुप्ता जी अभी बता रहे थे कि वहां लोगों को आंखों की बीमारी हो गयी है। हालत यह है कि वहां के लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनकी आंखों से दुख के आंसू नहीं गिरते हैं। बल्कि उनकी आइ-साइट खराब हो गयी है। इस कारण उनकी आंखों का समुचित इलाज किया जाना जरूरी है। यह सारी स्थिति वहां निर्मित हो रही है। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि मेडिकल वर्गीकरण के आधार पर मुआवजे का आधार न माना जाए। वहां जो सारे 36 वार्ड्स हैं भोपाल के, उनके सारे गैस पीड़ितों के लिए मुआवजे की एक राशि बीस हजार बांध दी जाए। जो सबसे कम इंज्योर्ड हो उसे बीस हजार रुपए। और उसके बाद जो सी+एफ कैटेगरी है, सी+ई है, सी+डी है, सी है, उसके लिए दावा संचालनालय में जिन्हें जाना हो वह जा सकते हैं ताकि समय कम लगे। इसी ओर मैंने मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था। मैंने पूछा था कि विलंब को कम करने के लिए आपके पास क्या योजना है? इससे विलंब कम होगा और जितनी राशि आंकी जा रही है वह राशि तुरंत बंटने से और जो गैस अफैक्टेड लोग हैं, उतने उसमें समा जाएंगे। इससे समय कम लगेगा और गैस पीड़ितों को दलालों के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाएगी। अभी तो वहां कई पेशेवर दलाल अपनी रोटियां सेंक रहे हैं, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कोई कह रहे हैं कि आपको इस कैटेगरी में आना है तो हम मेडिकल रिपोर्ट बनवा देते हैं। आप मोस्ट वर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने कहा, अभी जो यह कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, उसमें जिस इलाके में अफसर रह रहे हैं, उस इलाके में वर्गीकरण इस ढंग का हुआ है कि उस इलाके के लोगों को सबसे ज्यादा सी+एफ कैटेगरी में बताया गया है और जिस इलाके में यूनियन कार्बाइड थी और यूनियन कार्बाइड के आसपास का इलाका था, वहां संख्या कम सी+एफ आदि की बतायी गयी है। आप ताज्जुब करेंगे कि इस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मैं उसी इलाके का हूं, मेरा नाम नहीं है। मैं किस केटेगरी में गैस से प्रभावित हूं, स्पष्ट नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, मैं बता रहा हूं। मंत्रीजी अपने जवाब में बताएं। यह सारी स्थिति है। तो आज इस वर्गीकरण को क्या माना जाए कि यह वर्गीकरण सही आधार पर हुआ है। जो पूरी-की-पूरी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गयी है, वह सही आधार पर नहीं की गयी है तो यह सारी स्थिति है, इस पर मान्यवर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है।

4 P.M.

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आई०सी० एम०आर० ने जो रिसर्च की है, गैस प्रभावित महिलाओं से (गैस कांड के बाद वर्षों से) पैदा होने वाले बच्चों पर क्या मानसिक विकृतियां पैदा हो रही हैं, क्या शारीरिक विकृतियां पैदा हो रही हैं? इसकी उनके पास क्या जानकारी है? इसके बावजूद भी गैस कांड के बाद जन्मे बच्चों को मुआवजे का हकदार नहीं माना जाएगा, इस विसंगति का सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

माननीय मंत्री जी नोट कर लें, मैं रिप्लाई में इन चीजों का स्पष्टीकरण उनसे चाहूंगा। भोपाल गैस ट्रेजडी में विभिन्न स्रोतों से कितना दान मिला? किस-किस ने दान दिया। कब-कब दिया? वह पैसा कितना जमा है? विदेशों से कितना धन प्राप्त हुआ? जो आप पैसा दे रहे हैं, कौन से मद से देंगे? जो कंपनसेशन अभी देंगे, वह अंतरिम रिलीफ का जो पैसा है, जो उनको मिल चुका

है वह अंतरिम रिलीफ के पैसे से आप नहीं काटेंगे। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करें कि अब तक कितना धन इन्होंने गैस पीड़ितों पर विभिन्न मदों में खर्च किया है? किस-किस मद में कितना-कितना पैसा खर्च किया है? साथ ही गैस पीड़ितों के लिए केन्द्र द्वारा जो स्वीकृत 43.4 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान था, वह धन आप कहां से प्राप्त करेंगे? क्या यह धन मुआवजा राशि में से दिया जाएगा या यह सुनिश्चित करेंगे कि यह धन मुआवजा राशि में से नहीं काटा जाएगा। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का किस अनुपात में धन भोपाल गैस पीड़ितों के लिए व्यय रहेगा? माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इन बातों का भी उल्लेख करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है।

मान्यवर, मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो कंपनसेशन देने की बात है, उसमें मेडिकल वर्गीकरण पर पुनर्विचार किया जाए। उसके लिए तीन कटेगरी बनाई जाएं– एक वह, जो कि बिल्कुल ऊपर चले गये हैं यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मृत लोगों की संख्या आपने 4037 बताई है, दूसरी वह, जिस पर गैस का आंशिक प्रभाव पड़ा है और तीसरी वह, जिन पर गैस का ज्यादा यानी परमानेण्ट प्रभाव पड़ा है। इससे यह होगा कि दावा संचालनालय द्वारा जो फैसले किए जाएंगे उनमें कम समय लगेगा और जो भूल-भूलैया है कटेगेराइजेशन की उससे उनको मुक्ति मिल पाएगी और जल्दी ही हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

मान्यवर, वेलफेयर कमीश्नर के यहां समय-समय पर जो केटेगेराइजेशन हुआ हो, उस पर भी हम लोग आब्जेक्शन दे सकें, ऐसा माननीय मंत्री जी इस बिल में उल्लेख/व्यवस्था करें। जैसे कुछ लोगों ने अपने आपको बताया है कि हम वर्स्ट केटेगरी के हैं परंतु नाम नहीं है। उनकी आवाज में दम नहीं था तो उसमें भी आब्जेक्शन बुलाए जा सकें। वेलफेयर कमीशनर के पास इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, बिल में जिसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मान्यवर, पर्यावरण का जो एफेक्ट मैंने बताया है, उस संबंध में केन्द्रीय सरकार को देखना चाहिए क्योंकि वहां की सोयल और वाटर एफेक्टेड है। केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण विभाग इस तरफ कोई पहल करेगा, ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। फिर एक विशेष बात यह कहना चाहूंगा कि भोपाल में "अतिक्रमण हटाओ" मुहिम के अंतर्गत जो गैस पीड़ितों की झुग्गी-झोपड़ी हटा दी गई, खासतौर से शहीद नगर और साजिद नगर का पूरा क्षेत्र, वह हटा दिया गया। उनके जीवन-यापन का साधन तो छीन ही लिया गया, साथ ऊपर की छत से भी उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को निर्देशित करे कि जो गैस से प्रभावित लोग हैं उन्हें "अतिक्रमण हटाओ" मुहिम के तहत गुमटियों सहित अलग नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जो गैस-प्रभावित लोगों को गुमटी दी गई थीं, जिनके सहारे वे गैस-प्रभावित लोग अपने पूरे परिवार का जीवन-यापन करते थे, उन गुमटियों को भी हटा दिया गया है, उन्हें वापस मिलें ताकि उनके पूरे परिवार का जीवन-यापन चलाने के लिए वे सारे साधन पा सकें, ऐसी केन्द्रीय सरकार व्यवस्था करे। इसके साथ ही जो 2300 महिलाओं का रोजगार, सिलाई सेंटर बंद होने की वजह से छीन लिया गया है, वह रोजगार उन्हें वापस दिया जाएगा, ऐसा मेरा आग्रह है।

मान्यवर, यह बहुत मानवीय पहलू है।

ऐसा करने से यह हमारे भोपाल के गैस पीड़ितों के प्रति दयाभाव वाली बात नहीं है। अपितु यह इंसानियत का तकाजा है। अक्सर ऐसा प्रोजेक्शन आफिसरों द्वारा किया जाता है कि

[श्री सुरेश पचौरी]

भोपाल के जो गैस पीड़ित हैं, वे पैसों की चाह की खातिर पैसा पाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। जो उस क्षेत्र में जाएगा, मान्यवर, आप वहां होकर आए हैं, वह मेरी बात से सहमत होगा कि भोपालवासियों को, भोपाल के गैस पीड़ितों को केवल पैसे की चाह नहीं है। यदि उनके मन में कोई पीड़ा है तो भोपाल के गैस पीड़ितों की राहत और पुनर्वास की पीड़ा है। यदि उनके मन में कोई तड़प है तो वह इस बात की है कि भोपाल के गैस पीड़ितों को जो पैसा दिया जाए, वह उसी मद में खर्च किया जाए और पर्याप्त कम्पनसेशन दिया जाए। जो मेडिकल वर्गीकरण किया जा रहा है, उस पर पुनः विचार करके दिया जाए, यह मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir I also rise to support the Bill. I am aware that the provisions of the amendment Act are extremely limited. They only deal with the powers of the Welfare Commission which has been set up to deal with the claims in Bhopal. I am also aware that after hon. Members Mr. Gupta and Mr. Pachouri both from Bhopal have spoken, there is very little left on which to focus the attention of the House, to discuss the problems of the people of Bhopal. But, nevertheless, I want to take the attention of the House for a few minutes. This tragedy has occurred more than eight years ago. I have not visited Bhopal. I am sure that many of my colleagues have also not visited Bhopal. The point I am trying to make is, it is very easy to forget such tragedies. There are certain events in the history of the world which we would prefer not to think about. Yet in the interest of a safe future, in the interest of a sane future if we have to have a future at all, it is vital that the attention of the House, of the nation, of the Government, of every single one of us, remains riveted in a focused way not only to what happened but to the aftermath of Bhopal. What are we doing now when the tragedy is over? How are we handling the aftermath? What are the consequences of the aftermath? These are very very vital issues for the survival of this country and of the entire world because it is in the issues of ecology of environment, of rehabilitation of these people, that the whole future of the nation lies. Sir, on that fateful night of the 3rd December the whole city of Bhopal was converted into a gas chamber, a tragedy that is unprecedented in the history of manmade disasters. It was unprecedented. In terms of human lives, in terms of environmental damage, in terms of economic and social costs, the losses that have occurred in Bhopal are irreparable, yet we cannot deny that in public memory, in our memory in the memory of all of us, the tradegy of Bhopal has dimmed. In view of the continuing drama of the new events that take place daily, of the daily dramas unfolding before us of various vital national issues, the tragedy of Bhopal has dimmed. But for the people of Bhopal—though this tragedy has dimmed in the national consciousness, though we are no longer talking about it—the nightmare continued. It is the continuing nightmare with which they lived. Everyday it has mainfested itself in terms of difficulty of even breathing, of eating, of digesting food, of living, of lung diseases, of psychological disorder, every single manifestation. We do not even have the right to live the right to live disease-free and normal life. Sir, the ghastly legacy that we bequeath to the unborn and the new-born generation, the ghastly legacy that we bequeath to children who are still in the wombs of their mothers, the legacy of deformation, of deformed limbs, of being born with out eyes, God knows what other chromosomal and genetic disorders, is a crime that history will never forget. Sir, Bhopal will have a multitude of future citizzens who are totally de-

formed. Even though the events leading to the catastrophe have already been documented, we have talked about it in this House, we have passed the Bhopal Gas Leak Disaster Bill, we discussed the compensation many times, even though all these issues have been discussed in this House, as representatives, I think we should hang our heads in shame that we have not really done anything for the people of Bhopal in the 8 years that have passed since the tragedy. Sir, I would like the leave of the House to share with you one small story I read about what happened on that night in Bhopal. This contrasts with the utter callousness of the official response, the utter callousness with which all of us responded and the simple humanity of the people of Bhopal. When the sirens blared on that night to give the warning that the gas had started to spread, when the people, the workers in the factory of Union Carbide started running from the point where the accident took place, the simple people of Bhopal who woke up in their beds thought that the factory of Union Carbide was on fire and with wanting to help them, ran towards the factory of Union Carbide. This exposed them to even a greater danger and these people, the humanness of these people we are repaying in this way by so far not paying even a single claimant in 8 years. There are 6.83,000 claimants. All the figures have been given by my colleagues. But not even one claimant has been paid in eight years. This is the way in which we have responded. I want to be very specific and make very specific suggestions. The Supreme Court upheld the constitutional validity of the Act and later it up held the validity of the settlement and made very specific recommendations not just about the liabilitv of the Union Carbide not just extinguishing the criminal liabilitv. but doing our job. The Supreme Court went into the details which the Parliament should have gone into of how we could prevent such future disasters, of what the country should do to plan for prevention of such disasters. Sir, we are living in a nuclear age. It is well known that nuclear energy is the only source of plentiful safe supply of energy to this country. It is also cheap. But the nuclear energy also holds forth the terrible source of nuclear waste, of nuclear accidents. This country cannot sit back and take these things for granted. We cannot afford another Bhopal disaster, not in this century, not ever, we certainly cannot afford a nuclear disatster, a nuclear accident. What about the aftermath of Bhopal disaster? The only aftermath of Bhopal disatster tragically is that the lesson that it has taught us has gone completely unheeded. With the leave of the House I would like to just read out 2-3 specific recommendations that the Supreme Court made in the words of the Lordships themselves. The most important recommendations made in the judgement in the aftermath of the Bhopal tragedy is that first of all the Bhopal disatster emphasises the need for laying down certain norms and standards that the Government should follow before granting permission' or licence for the running of industries dealing with materials which have dangerous potentiality. The Government should, therefore, examine or have the problem examined by an expert committee as to what should be the condition on which future licences and permissions for runnnig industries on Indian soil because these multinationals exploit the cheap labour. We all know about the tragedy of Bhopal. We all know that there was an intrepid journalist called Mr. Kesh wani, who had been agitating against locating Union Carbide factory in the heart, in the most densely populated end the most crowded area where there were a majority of poor people living in Jhuggis and Jhompris. He agitated against locating Union Carbide there and till today nobody has come forward with an explanation as to how the licence was given to locate such a dangerous factory. It is also well known—I am going to waste the time of the House by going into the details—that Union Carbide

[Shrimati Jayanthi Natarajan]

simply took us for granted. They did not follow the basic elementary safety procedures which were laid down and which they would have definitely followed in the United States of America or in any other part of the world which had been less demanding where the Government and the people, the guardians of the law would have been more careful of the welfare of their people and make sure that the safety norms were followed. It is equally well known that Union Carbide's own team which came from the United States pointed out these flaws in safety and we all know what happened. So, before permission is granted to multinationals or to anybody else to locate the industries, to locate these factories, the Government of India—this is of vital importance to all of us—should take a stringent look at the terms and conditions on which these licences are granted and they should ensure the enforcement of these conditions, particularly the safety measures. I think, the safety measures, particularly, in the case of a factory like carbide or any other hazardous substance, should be set down in the conditions of the licence itself. And if they are violated in any way, immediate action should be taken against them to the extent that licence itself may be cancelled.

The second recommendation of the Supreme Court was that the Government should insist as a condition precedent to the grant of the licence or permission or the creation of a fund, in which these industries which were getting the permission would participate, so that this fund would be available for the payment of damages out of the fund in case of leakages or damages or acidents or disasters flowing from the negligent working of such industrial operations and the Government should ensure that these parties will agree to abide by paying such damages by a separately evolved procedure. There should be something like a national disaster fund. The States can contribute. These industries have to contribute in view of their hazardous substances which are produced in them and this should be there as a corpus from which interim relief can be readily made available. The tragedy of Bhopal—I cannot repeat it enough to emphasise its importance—is that eight years after the disaster, not even one claimant has got his money. Soon everybody is going to be dead and there is not going to be anyone living. Now Rs. 1300 crores are lying with the Registrar. What was Rs. 715 crores, which my colleague referred to, has now become Rs. 1300 crores which is lying with the Registrar of the Supreme Court. And the claimants are yet to see the colour of the money It is not a question of money. It is a question of rehabilitation. It is a question of survival. What are these people going to do? How are they going to survive? What are they going to do with Rs. 200 a month?

Sir, anyway, the third recommendation made by the Supreme Court was that the basis of the damages in cas of leakages and accidents should als be statutorily fixed and the la should also provide for deterrent o punitive damages, the basis of whic should be formulated by the Goverr ment itself. Then, to be very brief..

THE VICE-CHAIRMAN (SHI JAGESH DESAI): I think that th judgement was given in 1990. H the Government gone into it and it thinking about it?

SHRI CHINTA MOHAN: We a doing our best. Immediately after tl disatster, relief was also granted a the State Government is at presen disbursing this amount of Rs. 200 p victim. Another very important thi is under the existing Civil Law t amounts of the damages are dete mined by the Civil Courts. And

all know how long this litigation is taking and how tortuous the process is. Therefore, the Supreme Court itself had suggested that in case of disasters like this, in case of man-made disasters where the need is very urgent, the case should be settled by Claims' Tribunals and for these tribunals, a law should be made by Parliament and a special procedure should be set up for these tribunals. Fifty-six tribunals are supposed to be set up in the case of Bhopal. So far, as my colleague just pointed out, only 17 had been set up out of which four have already resigned and there are only 13 that are functioning. And the number of claims that have been settled by those Commissioners are absolutely pathetic compared to the number of people who are actually claiming it.

Then the Supreme Court also said that immediate and effective, speedy remedy to the victims of such accidents should be provided and the old, antiquated Fatal Accidents Act should be drastically amended and several provisions should be enacted. Without going into the details, I just want to point out one thing. Except for the Public Liability Insurance Act, 1991, which arose out of this judgement, not a single one of the recommendations of the Supreme Court has been implemented until today. This is an eloquent testimony to our proclaimed concern for the victims of Bhopal. I don't know what we are donig, sitting over here in Parliament, shouting at each other... (*Interruptions*)

SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra): May I just add that the Public Liability Insurance Act also did not become operative for a year and till today, there are no notifications to include the public sector undertakings. This is also a matter which you might like to mention.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: It is a further tragedy. I endorse what my learned colleague was saying. Even that is not in operation. The Supreme Court has taken the trouble of doing our work for us it means that we have not implemented even a single suggestion the Supreme Court made and as hon. Mr. Viren J. Shah is pointing out, we passed an Act and we just put it on the shelf. It has not been given effect to till today. In my opinion, the single greatest failure on the part of the entire national community is that we are not able to disburse Rs. 1,300 crores which we got as damages even after eight years of the incident itself, two-and-a-half years after the judgment of the Supreme Court. We have done a very serious thing. The Supreme Court has extinguished the criminal liability of Union Carbide. We entered into a settlement with Union Carbide. The only thing we got out of Union Carbide is Rs. 715 crores which has now become Rs. 13,000 crores and nothing has been done about this amount. This is where I beg to differ with what hon. Mr. Gupta was saying. The Supreme Court has gone into this matter also in great detail. The Supreme Court says that certain categories have been fixed by the Supreme Court itself which will be the basis on which the compensation shall be paid. But how these categories are fixed? The categories are fixed upon a categorisation which has been done by the Director of Claims of Health of the Madhya Pradesh Government and this categorisation is utterly and completely faulty.

Sir, I have no intention to politicise the issue. We have discussed this issue

[SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN]

with the seriousness that it deserved today and I have no wish to politicise this issue at all. But I have to note with great regret certain newspaper reports. It is bad enough that the Central Government delayed for so long in giving certain reliefs based upon the Supreme Court judgment which had been given after six years. Then the Central Government took almost two-and-a-half years to formulate some simple guidelines by which this compensation should be paid and the Madhya Pradesh Government to whom these guidelines were communicated sat on it for one year. The Minister for Local Self-Government finally announced these in May this year. When he was asked why he kept quiet on these guidelines, when the Central Government had circulated them one year ago, he said that he was told by the Central Government to keep it secret. I don't understand this. This is a press report. I don't understand whether the Minister in the Madhya Pradesh Government is trying to politicise this issue, in which case, it is truly tragic. I don't understand. If the Central Government gave instructions to keep the guidelines secret, why on earth did they do it? What is the rationale? I don't understand why these guidelines are to be secret. They should be public. They should be debated. The people are waiting for the relief. If the Central Government had truly given those instructions, I condemn this act and I want to know from the Minister why they were told to keep quiet. If the Minister is saying something which is not strictly correct and if he is trying to politicise the issue, then I think it is a sad commentary on the state of the Madhya Pradesh Government. I would lik to have a clarificatino from the Minister in this regard.

Sir the guidelines for compensation have been finalised by the Central Government. I simply don't understand the basis on which these guidelines themselves have been approved. I would like the leave of the House to refer to it for a minute. I want to place on record the fact that whatever details I had learnt about the Bhopal gas tragedy I had them from the work the journalists had done into this and the work Mr. Praful Bidwai has done whose reports are in front of me. I have taken all these from him. I have not got these details from any government records. I have seen no details anywhere. This much work even the Central Government has not done. If they have done it I would be very happy to stand corrected. Simple truisms common sense. These journalists have gone into this. This has not occurred to any of us sitting over here or to the Government. The first thing about the guidelines is that there is a fundamental confusion. Is this compensation meant for past injury—something that happened on that day? Is it meant for present disability or is it meant for future medical treatment? We don't know. For what is it meant? It has to be focussed towards something. We don't know for what this compensation is. Unless you say what it is menat for, the entire basis of the compensation is itself wrong. Secondly, the guidelines are utterly faulty because the entire guidelines are individual specific. It is because the entire guidelines are indivdual-specific. They are based on individual medical report. It is also admitted that two-thirds of the victims of the Bhopal tragedy never went for any medical examination and so, they do not possess any medical records. In this ghastly tragedy, the people were running for their lines and everybody knows that the doctors were not doing it and the people were being given contrary instructions and they were being treated for something else. No medical reports exist. So, if you frame guidelines telling them that they will get compensation only if they bring the entire medical records, only if they come armed with their medical records, then, obviously, the entire basis of the guidelines in flawed.

Then, there is no simple definition in the guidelines of what constitutes a severe permanent injury or a temporary partial disability and important and critical terms like "belonging" are not definied at all. What are "belongings", what is "compensation"—there is no definition at all. I do not know what kind of guidelines we have finalised, the Madhya Pradesh Government has finalised. I do not know how they are doing it.

The medical categoristion undertaken by the Madhya Pradesh Government is something that is utterly pathetic. I think the honourable Member, Shri Pachouri, already referred to it. I want to refer to it to focus sharper attention on it. Sir, there are 6,39,793 claimants and only 57 per cent of them have been, admittedly, examined, according to the Government figures. What happened to the other 43 per cent of the claimants? They have to die! If they have not been examined, the other 43 per cent of the 6 lakh claimants have just to die. They were not examined even by the Madhya Pradesh Government. Again, even of out of this 57 per cent, 1.55.000 people have been shown as not having suffered any injury at all!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): According to the medical reports?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: This is according to the Madhya Pradesh Government report. Out of 57 per cent of the claimants, 1,55,000 suffered no injury at all! They were just sitting over there having a good time on the night of 2nd/3rd December! No injury and so, not entitled to any compensation! Then, 1,73,000 have suffered temporary injuries and 22,900 have suffered permanent injuries. According to them, 43 of the victims are free from any injury, 48 per cent of the rest suffered temporary injuries and only 46 people, out of the entire holocaust, are entitled to total compensation, that is, the maximum amount between two and four lakhs! These are the people who were condemned to live between death and just survival from poisoining. But forty people alone have been found by the Madhya Pradesh Government to suffer from injuries which require maximum compensation! In fact, I had gone to attend a seminar in Bhopal recently and when I was there, there was a tremendous amount of criticism being levelled against Mr. Nariman, the dis tinguished laywer, who defended th eUnion Carbide. In the course of his speech, he made a remark and that struck me very much. The one remark that he made was that only 36 wards had been declared by the Central Government to be gas-affected. Mr. V. P. Singh was the Prime Minister at that time and I do not know why only 36 wards were declared as gas-affected. It was done totally on an arbitrary basis. If you are going to declare the wards as gas-affected, then there is so much of scientific progress and advance which have taken place in India that it is very easy to do it. You can take into account the dispersal of the poison cloud according to the topography, geographical mapping out can be done and then calculate the amount of toxin and then determine the area as gas-affected. This is the way you have to do it. I would say that all the wards can be treated as gas-affected. What has happened is that in this process, people who have not suffered any injury are getting compensation including the lawyer for the Union Carbide who was not at all a gas-affected person! This came from Mr. Nariman himself. A lawyer who represented the Union Carbide in Bhopal is getting Rs. 200 a month till today and this is what Mr. Nariman himself has said! We do not know whether he was present there or whether he was sitting in the Union Carbide office. This is a great tragedy, and I would ask the House to forgive me if I make this remark, beucase I make it with complete responsibility, because the Government at the Centre—Mr. V. P. Singh was the Prime Minister here at that time—desired to make very impressive and

[Shrimati Jayanthi Natarajan]

populist gestures and this was one of them. This is the reason why the amount of compensation that has been handed out is Rs. 200 per month to anybody, whether they are rich or poor, whether they have suffered or not, whether they were next to the Union Carbide, living in jhuggi-jhompris on the side of the wall of the Union Carbide or, as Mr. Pachouri pointed out, living on the heights of new Bhopal where the officers and the rich people of Bhopal live. Sir, they also get Rs. 200 per month till today.

Therefore, Sir, the way in which the categorisation has been done by the Madhya Pradesh Government has been completely heart-rending. And if you compare this with the survey which is conducted by the ICMR which is the only credible survey, the utter tragedy of the contrast begins to appear. Sir, the morbidity, the sickness rates have risen by over 36 per cent over the years. After showing an initial decline in 1990, the increase in sickness in the area of Bhopal stands at an alarming level of 36 per cent. That is, people who are suffering from lung, eye and gastro-intestinal and skin diseases have gone up by 30.5 per cent. There is 30 per cent decrease in the lung capacity of most of the people who are living in Bhopal, and we have not yet even comprehended the true effects. There are severe psychological disorders among the school children, and various kinds of aberrations in the new-born.

Sir, in this background my hon. friend, Mr. Gupta made a reference to the hospital which had to be set up. He said that the Madhya Pradesh Government had identified one lakh more people who have to be paid, and that there should not be any discrimination. Sir, I want to bring to the notice of the House that this has actually come up in the Supreme Court, and the Supreme Court has directed the Central Government that these one lakh more victims that have been identified should be paid. But, one improtant point was made by the Counsel for the Union of India. While he admitted that they would be paid, the people who suffered have to be paid, he pleaded total inability. He said that the Central Government relies entirely on the figures supplied by the Madhya Pradesh Government. Now, the Central Government is not sitting over there. Therefore, it is not correct to say that the Central Government is not doing this and not doing that. I don't think we should apportion blame to anybody. I think we should all get together and do something. It is no use saying that the Central Government is not taking these one lakh people. The Central Government can only take these people into consideration if the figures are supplied by the MP Government. Now these figures are not forthcoming. The complete categorisation is still not over. So in view of the Sepreme Court order in respect of these additional one lakh people, I think, the Madhya Pradesh Government now owes a duty to the citizens of Bhopal to complete the categorisation in as scientific as manner as it is possible for it to do.

Sir, I would like to emphasise one thing here. I have a report here. This is a report of October, 1991. There are one or two things which are being done by the Madhya Pradesh Government which are totally inhuman and are completely contrary to any kind of priciples not just of natural justice but also of simple humanity. Sir, the PUCL, the People's Union for Civil Liberties is by no means a poliitcal outfit. It is an outfit which consists of people who go to various areas where civil liberties are being infringed, and inspect those areas. What the Madhya Pradesh Government did in 1991 in completely demolishing the gas-affected slums where thousands of people live and then throwing

them out was something that was completely inhauman. And I have the reports from the PUCL. It is not something that I am making up. They just walked in and threw these people out and then started demolishing the slums without any kind of prior notice. Two women aged 30 and 36 committed suicide by drinking kerosene. They had had enough, they had suffered mass poisoning they had suffered spontaneous abortions, they had suffered psychological disorders they had suerffed their children losing one limb, one eye. They suffered deformed children being born. And the Government which is supposed to give them succour comes and simply demolishes the very house the jhuggis and jhopris in which they live, without any notice. And life became too much for them and, therefore, these women swallowed kerosene and killed themselves. Thousands of people, residents of those slums, threatened mass immolation and after that demolitions came to a stop. And when the team from PUCL went, the Minister, the same Local Self Government Minister says that he does not believe in paper work because paper work comes in the way of action, and he says: 'We just want to get people out because these are illegal constructions'. Was the Bhopal gas leak legal? It is a matter of simple humanity. We talk of illegal constructions for the victims of Bhopal tragedy. When we should be giving them succour. we are simply removing roofs over their heads. I think it is a sad state of conscience of the nation and I would appeal through you to the Government of Madhya Pradesh not to indulge in the inhuman activities.

Mr. Pachouri also referred to the closure of the sewing unit. About 2300 women are on the streets. Why are they politicising it? Is it just because the Congress Government set up these centres? I think it is a tragedy. We have all done very, very little and I don't think we should further aggravate the tragedy.

Sir, editorials have been written. People are talking in the streets whether human life is so cheap. According to our laws that we have passed sitting in Parliament, if there is a victim of an air crash, what compensation do we give? What kind of money do the victims of air crash get in this country? But is dying by mass poisoning and slow suffering any less tragic than dying in an air crash? Why is it that we are treating these people in Bhopal in a stepmothealy fashion? Is it because they are poor? Is it bceause they live in jhuggis and jhompris? Is it because they do not belong to a privileged section of the society flying in planes? Privileged sections do not even require our intervention, and yet we legislate for them and we have completely forgotton about the Bhopal victims.

In conclusion, I would demand that the recommendation of the Supreme Court should, first of all, be implemented without further delay. Whatever recommendations they are, they should be immediately implemented. I know that implementation leaves a lot to be desired but at least legislative action we should take. At least, the checks and balances we should have on the multinationals. At least, this should become a part of our statute book, and should be enforced stringently so that the multinationals do not take the Third World countries for granted any more.

Sir, in conclusion, I would like to share with the House another small story that I read in a book, about Bhopal today. I am told that the children of Bhopal play a new game. One child plays the father and the other plays the mother. They settle down with other children who play 'other children' around them.

[Shrimati Jayanthi Natarajan]

As soon as they have settled down, suddenly one child wakes up and starts screeching: *gas aa gai gas aa gai*, and than all of them thrash around their limbs, choked. They thrash around their limbs choked once again and then they fall down dead., This is the legacy that we have bequeathed to the children of Bhopal, not just the deformity that is there but consciousness of death. But we have forgotton them and I don't think we are entitled to say that we have a national conscience if we allow the concern of these people to be forgotten. Thank you.

मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश) : शुक्रिया मिस्टर वाइस-चेयरमैन सर।

"भोपाल की धरती पर तबाही का वह मंजर वह गैस थी या जिस्म पर इंसान के खंजर"। आज भोपाल गैस कांड पर इस मोअज्जज हाउस में बहुत तफसील के साथ हमारे साथियों ने श्री नारायण प्रसाद गुप्ता जी, श्री सुरेश पचौरी जी, मिसेज जयंती नटराजन जी ने तफसील से रोशनी डाली है। वह कयामत थी जो भोपाल के लोगों के सर से गुजर गयी। कितने लोग मौत के घाट उतरे कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी सुहागनों की मांग का सिंदूर खुरच-लिया गया और इंसानियत की लाश से ताफ्फुन का धुंआ कितने दिनों तक उठता रहा हिन्दुस्तान की सर जमीं पर।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती जयन्ती नटराजन) पीठासीन हुईं]

भोपाल में गैस हादसा दुनियां के मुखतलिफ हादसात में एक खतरनाक और गदीदतरीन हादसा है जिसे कभी भी हस्सास दिल फरामोश नहीं कर सकता और वहां के मजलूमीन के लिए उन तबाहहाल लोगों की आबादकारी के लिए, उन बीमार और मुसीबतजदगान को फलाहोबहबूद का सेहतबख्श दवाओं के जरिये उनके इलाजोमालेजाह के लिए जितनी भी डिमांड सरकार से की जाए यह यकीनन कम है। भोपाल गैस कांड को तकरीबन 8 साल होने को आ रहे हैं। इस हादसे में बेशुमार जानें गईं बेशुमार लोग अंधे लूले लंगड़े हुए। यूनियन कारबाइड की फैक्टरी से गैस निकलने की वजह से जो लोग मुतासिर हुए थे, उन्हें इस फैकटरी से मुआवजा फौरन मिल जाना चाहिये था इसलिए कि मुआवजे के लिए क्वानीन पहले से मौजूद थे अब भी मौजूद है। इतनी ज्यादा देर लगाई गई इस मामले में। आज यह बिल यहां आया है मगर मोहतरम मिनिस्टर साहब जा रहे है। बहुत देर की मेहरबां आते आते। इस बिल को बहुत पहले आना चाहिये था। खैर देर से आया खुदा करे अब यह दुरुस्त भी हो जाए। लोगों की मुसीबतों में बराबर इजाफा होता जा रहा है। बदकिस्मती की बात है कि इतना लम्बा अरसा गुजर जाने के बाद भी मुआवजे की रकम अब तक उन मजलूमीन तक नहीं पहुंची।

शायद हिन्दुस्तान की तारीख का यह वाहिद वाकया है जिसमें किसी भी मुआवजे में इतनी लम्बी ताखीर हुई। मोहतरम सदर साहेबा, इस मुल्क की तारीख में न जाने कितने हादसे हुए हैं। कभी जलजले के जरिये देश के लोग पीड़ित हुए कभी कहतसाली के जरिये लोग भूख से मरे, कभी सैलाब के जरिये हिन्दुस्तान की आबादी तबाही के कगार पर पहुंची और कभी दंगे और फसाद के जरिये बच्चे बाप से महरूम हुए, मायें अपने लालों से महरूम हो गई। मगर जिस हादसे पर आज हम यहां पार्लियामेंट में बहस कर रहे है यह एक ऐसा हादसा है जिसका मेरा इन कही हुई बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। यह हादसा बिलकुल अजीबोगरीब अपनी नवइयत का है। एक तरफ एक विदेशी इस हादसे में शामिल है, वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार भी कसूरवार की हैसियत से कटघरे में खड़ी हुई दिखलाई देती है। मुझे तारीख का थोड़ा बहुत तजरुबा है और जो थोड़ी बहुत तारीख

एक तालिबेइज्म की हैसियत से मैंने जानी है इस हाऊस में बैठे हुए हमारे मोअज्जिज मैम्बरान ने पार्लियामेंट के जेहन में यह बात अच्छी तरह से होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के वक्त नाजी जर्मनी ने हिटलर की कयादत में लोगों को कमरों में बन्द कर के गैस छोड़ कर कत्ल किया था। लेकिन जिस पर हम आज बहस कर रहे है यह किसी जंग का वाक्या नहीं है इंतकाम लेने के लिए भोपाल में गैस छोड़ने वाला वाक्या नहीं है किसी दूसरे मुल्क का वाक्या नहीं है बल्कि सिर्फ हिन्दुस्तान का है और हिन्दुस्तानियों का यह जान लेवा वाकया है। आज जो लोग भोपाल जाते हैं, इस हादसे का शिकार होने वाले लोगों को देख कर और उनकी बातों को सुन कर कांप जाते है। ऐसी सूरत में मरने वाले मर रहे है उन्हें दवा न मिले, तड़पने वाले तड़प रहे है, उनके जख्मेजिगर पर मरहमेशफा न रखा जाए, इससे ज्यादा उनकी बदनसीबी और क्या हो सकती है। मैं इस बिल पर लोक सभा में होने वाली बहस के दौरान वजीरे मुमलिकत जनाब चिंता मोहन साहब के बयान को सामने रखना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यह यकीन दिलाया था कि यूनियन कारबाइड के सदर को गिरफ्तार करके हिन्दुस्तान लाया जाएगा। मैं मरकजी हकूमत से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और सरकार को इस सिलसिले में अब तक किस हद तक कामयाबी मिली है और सरकार यूनियन कारबाइड के सदर को अमरीका से गिरफ्तार कर के कब तक लाएगी? मैडम, यह मसला बहुत ज्यादा हस्साफ है। अमेरिका की हकूमत अपने लोगों की जान माल का ख्याल इस तरह से रखती है कि अगर उनका एक आदमी कहीं कत्ल कर दिया जाए, उनका कोई आदमी कहीं जिबह कर दिया जाए, उनकी सम्पत्ति कहीं तोड़ी, फोंकी, तापी जाए तो अमेरिका फौज लेकर उन मुल्कों के ऊपर चढ़ दौड़ता है। अमेरिका उन मुल्कों के ऊपर जुल्मों सितम के साथ बमबारी कर देता है। अमेरिका के लोगों को मार देना तो बहुत दूर की बात है जिन्होंने अमेरिकियों को मारा नहीं, अमेरिका षड़यंत्र रच करके उन मुल्कों के खिलाफ एक ऐसा माहोल पैदा करता है कि जिसमें उन मुल्कों के बच्चों का खाना पीना बंद हो जाए, दूध और पाउडर बंद हो जाए। उनके वसायल और जराये से उनको महरूम कर दिया जाए।

सदर साहिबा, आपको अच्छी तरह से याद होगा और उनके जरिए मैं हाऊस के मुअज्जिज मैम्बरान की तव्वजह भी इस मसले की तरफ दिलाना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने लीबिया की माहशी नाकेबंदी की थी। लीबिया के ऊपर अमेरीक ने भी बम मारे थे। कर्नल गद्दाफी की बेटी भी शहीद हुई थी। कर्नल गद्दाफी भी बाल बाल बचे थे। एक और दूसरा हमला लीबिया के ऊपर करने का रास्ता, अपने जुल्मों सितम का हथोडा चलाने के लिए अमेरिका ने उस फर्जी दास्तां के जरिए निकाला कि जब उसने एकाएक पूरी दुनिया में अपने जहाज के तबाह हो जाने के बहुत दिन के बाद यह झूंठा प्रोपेगंडा शुरू किया कि लीबिया के दो शहरियों ने हमारे हवाई जहाज को बम से उड़ा दिया था। अगर लीबियन हुकूमत अपने उन दो शहरियों को हमारे हवाले नहीं करती तो लीबिया की नाकेबंदी की जाएगी, लीबिया की माहशी नाकेबंदी की जाएगी। गरज यह कि अपनी दादागिरी के तहत फर्जी मुकदमात कायम करके मुल्कों पर, उन मुल्कों के अवाम को, उन मुल्कों के लोगों को, उन मुल्कों के नागरिकों को अपने मुल्क में ले जाकर मुकदमा चलाने की धमकियां भी देता है और मुकदमा भी चलाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के तहत अमेरिका एक ऐसा सांड बन गया है जो लोगों के खेत की हरियाली देखकर जिसका खेत चाहता है मुंह लेता है, जिसके खेत के गंदुम और अनाज को चाहता है उसको घास समझकर चर लेता है। अमेरिका ऐसा ऊंट है जिस की नाक में अब नकेल लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है और वह किसी भी नकेल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अमेरिका ने लीबिया के दो शहरियों को हासिल करने के लिए कितने नाटक रचे, किस कदर पूरी दुनिया में

[मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी]

बावेला मचाया । तो मेरा कहना यह है कि अमेरिका का यह नागरिक जो यूनियन कार्बाइड का जनरल मैनेजर था, इस हादसे के बाद बहुत दिनों तक हिन्दुस्तान में रहा और उसके बाद जबकि आज मुजरिम की हैसियत से सेंट्रल गवर्नमेंट उसे गिरफ्तार करके अमेरिका से लाना चाहती है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जुर्म तो उसने बहुत पहले किया था उसी वक्त आखिर उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उसको क्यों नहीं निगाह में रखा गया, उसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगायी गयी, वह किस तरह हिंदुस्तान से अमेरिका पहुंच गया, किस एयरपोर्ट से पहुंचा, किन लोगों के जरिए पहुंचा । जिसके जरिए इतना बड़ा अपराध हुआ कि लाखों लोग मारे गए, लाखों लाख लोग तबाह और बरबाद हो गए, इतना बड़ा जालिमों कातिल हिन्दुस्तान छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया ? मंत्री महोदय बतायें कि अमेरिका के मुंह में पहुंच जाने के बाद क्या उसको वे हासिल कर सकेंगे ? क्या यह सरकार उसको गिरफ्तार करेगी, हिन्दुस्तान ला सकेगी ? अमेरिका का वह जनरल मैनेजर लाखों हिन्दुस्तानियों का कातिल है । जिस तरह से अमेरिकन शहरियों की जान की बहुत बड़ी कीमत है वैसे ही हिंदुस्तान के शहरियों की जान की एक इंच भी कम कीमत नहीं है इसलिए कि अमेरिका के इन्सानों के पास जो अहसास है वह हिंदुस्तान के इन्सानों के पास भी अहसास है । अमेरिकन लोगों को जो दुखदाई दर्द का अहसास है हिन्दुस्तानियों को भी उसी दुखदर्द का अहसास है । अमेरिका के लोग जिस तरह पीड़ित होते हैं उनकी पीड़ा दूर करने के लिए उनकी हुकूमत जिस तरह से अपनी जान पर खेलकर अपने दुश्मनों का तआकुब करती है क्या हमारी यह मरकजी सरकार इस बात का यकीन दिलाएगी कि भोपाल की सरजमीन में लाखों तबाह होने वाले लोगों की रूहों को खुश करने लिए, हजारों अंधे, लंगड़े और लूले लोगों को इन्साफ दिलाने के लिए यूनियन कार्बाइड के उस जनरल मैनेजर को अमेरिका से उठवाकर या गिरफ्तार करके हिन्दुस्तान लाएगी ?

अगर हुकूमत यह कारनामा अंजाम दे, तो यकीनन हम यह समझने के लिए तैयार होंगे कि हमने अपनी खुदी नहीं बेची है । हिंदुस्तान गरीब जरूर है, मगर गरीबी अपना तेवर भी रखती है । हिंदुस्तान के पास चाहे वह हालत और असबाब न हों, जिनकी बुनियाद पर हम अपने लोगों को बहुत अच्छी जिंदगी दे सकें, मगर हम अपनी गैरत की जिन्दगी बेहतर बनाने लिए किसी से समझौता नहीं करेंगे ।

हम अपनी इज्जत की जिंदगी का समझोता किसी से नहीं करेंगे । यह हिन्दुस्तान की इज्जत की जिन्दगी का सवाल है । यह हिन्दुस्तान की गैरत की जिन्दगी का सवाल है । इसलिए अगर वह यूनियन कार्बाइड का जनरल मैनेजर गिरफ्तार करके नहीं लाया गया, तो दुनिया यह समझेगी कि हिन्दुस्तानियों की हजारों-लाखों जाने चली गई, उससे हिन्दुस्तानी गवर्नमेंट को कोई वास्ता नहीं । हिन्दुस्तानी गवर्नमेंट डरती है बुश की इंतजामिया दादागिरी से, जिसके सामने हिन्दुस्तान ने सरेंडर होकर हिंदुस्तान के लाखों लोगों को तबाही के मुंह में जाने के बाद भी उनको सम्मान दिलवाने के लिए तैयार न होकर अमरीका के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं ।

इसलिए मंत्री महोदय, इस मसले को बिलकुल क्लियर करें कि अमरीकन गवर्नमेंट से हिन्दुस्तानी हुकूमत की इस सिलसिला में क्या बातचीत हो रही है और उस जनरल मैनेजर को हिन्दुस्तान की सर जमीन पर भोपाल की पीड़ितों और मजलूकों की मुसीबतों की रोशनी में एक मुजरिम की हैसियत से हमारी मोअज्जिज अदालतें आलिया में किस तरह खड़ा किया जाएगा ।

इसलिए यह एक बड़ा गंभीर सवाल है । आंकड़ों के माहोल में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कि हमारे साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से भोपाल के एक-एक मसले को और खुद मैडम आपने भी उठाया

की मुर्दु करके रख दिया, हिन्दी की चिन्दी करके रख दिया, अंग्रेजी की रंगरेजी करके रख दिया, बाल की खाल निकाल कर रख दिया । इसलिए मैं नहीं समझता कि अब उस मसले पर कोई और आंकडा देने की जरूरत होगी । अलबत्ता, मैं उसके हाशियों पर आपसे बातें जरूर कहना चाहूंगा । एक बात तो यह जो मेरे जहन में खटक रही थी, आपके सामने मैंने इसको रखा है ।

सरकार इसके लिए, क्या इंतजाम कर रही है, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी इस यकीनदहानी पर अमल करने की क्या तैयारी कर रही है और कब जनरल मैनेजर को गिरफ्तार करके ला रही हैं, यह बतायें ।

इसके साथ, मैडम, वजीरे मोसूफ ने अपने बयान में यह भी बतलाया है कि भोपाल में 500 बिस्तरों के अस्पताल के बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है । यह सब कुछ उस बैगग्राउन्ड में जो हादसाते कुबरा गुजर चुका उस भोपाल की सर जमीन पर, , मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा खतरनाक मामला जिसमें फौरन इंतजाम की जरूरत थी, सरकार के कहने के मुताबिक अभी सिर्फ वह तेजी से काम कर रही है और अभी तक अस्पताल नहीं बना पाई, जबकि इस हादसे को हुए 8–10 साल का दौर गुजर गया । क्या सरकार अपनी इस लापरवाही के लिए मुर्दे इल्जाम नहीं है ?

मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अभी हुकूमत ने अस्पताल के लिए सिर्फ जमीन ली है । तो क्या जब मरीज जमीन के ऊपर चले जायेंगे, हिन्दुस्तान के कब्रिस्तान में चले जायेंगे, तब यह हमारी सरकार जमीन के ऊपर अस्पताल बनवायेगी ?

मैडम, जो लोग इस हादसा में मरे हैं, उनके वारीसीन और महलुकीन के साथ उनके इस हादसे में बुरी तरह जख्मी और मुतास्सिर होने वाले लाखों लोगों के लिए सरकार ने क्या प्रोग्राम बनाया है ? उनके बच्चो की तालीम और ट्रेनिंग के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया है और जो इंतजामात किए गए हैं, क्या यह सही नहीं हैं कि वह बिलकुल नकाफी है ।

इसलिए मेरा मुतालबा है कि इंतजामात में सुधार किया जाए, उन्हें चुस्त बनाया जाए और मरकजी सरकार की तरफ से इस काम में दी जाने वाली रकम को बढ़ाया जाए, उनके वारिसीन को बेहतर रोजगार के मवाके फराहम किए जायें और घनी बस्तियों में इस तरह की खतरनाक इंडस्ट्रीज लगाने की इजाजत बिलकुल न दी जाए, और इसे यकीनी बनाया जाय कि मरकजी हुकूमत की तरफ से एक कानून पार्लियामेंट में पास करवाया जाय । (समय की घंटी)

मैडम, मरकजी सरकार की एक और बात की तरफ खब्जह दिलाना चाहूंगा कि सूबाई हुकूमत मध्य प्रदेश ने कहा है कि जो लोग दावा कमिश्नर के फैसले से मुतमईन न हों, उनको अपील का मौका देने के लिए ग्यारह अदालतें बनाई जायें । मेरा कहना यह है कि दावा कमिश्नर बजाते खुद पूरी तैयारी के साथ हर तबाह फैमिली के लिए इस बात को यकीनी क्यों न बना दें कि मुआवजे की रकम जिन लोगों के लिए जो तय की जाए, उस रकम पर वह लोग मुतमईन हो जाएं और कम से कम मामलात अपील में जाएं, क्योंकि लोगों का इतना जबरदस्त नुकसान हो चुका है ।

इसके बावजूद एक दर्जन अपील अदालतें बनाकर इस मामले में ताखीर करने से समस्यायें और भी बढ़ेंगी । 11 अपील कोर्ट के लिए जो सूबाई हुकूमत ने मरकजी

[मौलाना औबैदुल्ला खान आजमी]

हकूमत से अपील की है उसके हिसाब से हर अदालत तकरीबन 12 हजार दावों की सुनवाई करेगी। इस तरह करीब सवा लाख तो मुआवजे के दावे हो गए। सूबाई हकूमत ने मरकजी हकूमत से कहा है कि दावों की रकम किन बुनियादों पर तय की जाए, इसकी गाइडलाईन हमको चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी खतरनाक सूरत-ए-हाल के बावजूद मरकजी हकूमत इस हादसे को इतने दिन गुजर जाने के बाद अब तक तय नहीं कर पाई जिसकी रौशनी में मुआवजे की रकम तय की जाए। इससे बड़ी" लापरवाही और फर्ज-शनासी से मुंह छिपाने की बात और क्या हो सकती है? मध्य प्रदेश की सुबाई हकूमत ने मरकजी को एक और सुझाव दिया है। जो लोग दावा कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील करें उनको इस रकम की अदायगी तब तक न की जाए जब तक अपील में आखिरी फसला न हो जाए। मैडम, इस सिलसिले में मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि सूबाई हकूमत का यह मशिवरा कुछ सही नहीं है इसलिए कि दावा कमिश्नर ने जितनी रकम तय कर दी है उस पर इतमीनान न होने की वजह ही से साहबे मामला अपील करेगा और चाहेगा कि इस रकम को और बढ़ाया जाए। इस तरह से इस रकम को किसी तरह से कम होने का तो अपील होने के बावजूद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इसलिए सूबाई हकूमत का यह सुझाव न सिर्फ यह गैर मौजू है बल्कि गर इंसानी भी है। मैं मरकजी सरकार से मांग करता हूं कि वह सूबाई हकूमत से इस सुझाव को रद्द कर दे और इस बात को यकीनी बनाए कि दावा कमिश्नर मुआवजे की जितनी रकम तय करे उसका पेमेंट फौरी तौर पर कर दिया जाए। मैडम, इसी के साथ-साथ, इस मामले में भोपाल के मजलूमों के लिए और उनकी राहत-कारी के लिए जितने भी मामलत की राय ली जाए मैं समझता हूं कि वह बहुत बेहतर है।

एक बात मैं और मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि लोक सभा में उन्होंने यह बयान दिया था कि एक मरकजी टीम भोपाल भेजी जाएगी और मामलात का जायजा लेगी, हालात का जायजा लेगी। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई मरकजी टीम वहां गई है और बाद में मरकजी टीम ने सरकार को अपनी रिपोर्ट हवाले की है? अगर ऐसा हुआ है तो उसकी सिफारिशात क्या है और मरकजी सरकार ने उस पर उसका रद्देअमल क्या हुआ है? मुझे मौतबर जराय से यह भी पता चला है कि ज्यादातर अफसरान भ्रष्टाचार के जरिए मुसीबतजदा लोगों का बढ़े पैमाने पर हस्तहसाल कर रहे हैं। मुझे यहां तक पता चला है कि उन्होंने अपने ताबेदारों से परसेंटेज तक मुकर्रर कर रखे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की धांधली मुआवजा मिलने से पहले ही अपनी शकल दिखला रही है तो फिर मुसीबतजदा लोगों को इसाफ कहां से मिलेगा, उनकी तकलीफें किस तरह खत्म होंगी? ऐसे भ्रष्ट अफसरों और मुलाजिमों की छंटनी करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार को चाहिए कि फौरन छान-बीन करके ऐसे मुजरिम अहलकारों को निकाल फैंके। मैडम, ये हैं वह सारे सवालात जो आज भोपाल गैस के पसमंजर में हमारी पार्लियामेंट के सर पर मंडरा रहे हैं। ऐसी सूरत में हकूमत को एक बिल्कुल साफ तरीके से एक रास्ता अपनाना चाहिए और मजलूमीन की राहतकारी के लिए वह सब कुछ करना चाहिए, जो कुछ न करके सरकार अपनी गैर-जिम्मेदाराना हरकतों का सबूत दे रही है।

आखिर में भोपाल में जो लोग मरे हैं, भोपाल में जो लोग पीड़ित हैं, उन तमामतर लोगों के लिए खैराज-ए-अकीदत और हमदर्दी के नजराने मोहब्बत के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया।

مولانا عبید اللہ خان اعظمی "اتر پردیش": شکریہ مسٹر وائس چیرمین سر۔

"بھوپال کی دھرتی پر تباہی کا وہ منظر وہ گیس تھی یا جسم پر انسان کے خنجر۔"

آج بھوپال گیس کانڈ پر اس معزز ہاؤس مین بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے۔ شری نارائن پرساد گپتا جی۔ شری سریش پچوری جی۔ مسز جینتی نٹراجن جی نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ قیامت تھی جو بھوپال کے لوگوں کے سر سے گزر گئی۔ کتنے لوگ موت کے گھاٹ اترے۔ کتنے بچے یتیم ہوئے۔ کتنی سہاگنوں کی مانگ کا سندور کھرچ لیا گیا اور انسانیت کی لاش سے تعفن کا دھواں کتنے دنوں تک اٹھتا رہا۔ ہندوستان کی سرزمین پر۔

(اپسبھادھیکش "شریمتی جینتی نٹراجن" پیٹھاسین ہوئی)

بھوپال میں گیس حادثہ دنیا کے مختلف حادثات میں ایک خطرناک اور شدید ترین حادثہ ہے۔ جسے کوئی بھی حساس دل فراموش نہیں کر سکتا۔ اور وہاں کے مظلومین کے لیے ان تباہ حال لوگوں کی آبادکاری کے لیے ان بیمار اور مصیبت زدگان کی فلاح و بہبود کا صحت بخش دواؤں کے ذریعے انکے علاج و معالجہ کیلئے جتنی بھی رقم سرکار سے کی جائے وہ یقیناً کم ہے۔ بھوپال گیس کانڈ کو تقریباً آٹھ سال ہونے کو آرہے ہیں۔ اس حادثہ میں بے شمار جانیں گئیں۔ بے شمار لوگ اندھے۔ لولے۔ لنگڑے ہوئے۔ یونین کاربائیڈ کی فیکٹری سے گیس نکلنے کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہوئے تھے۔ انھیں اس فیکٹری سے معاوضہ فوراً مل جانا چاہیے تھا۔ اسلئے کہ معاوضے کے لیے قوانین پہلے سے موجود تھے۔ اب بھی موجود ہیں۔ اتنی زیادہ دیر لگائی گئی اس معاملے میں۔ آج یہاں بل آیا ہے۔ مگر محترم منسٹر صاحب جا رہے ہیں بہت دیر کی مہربان آتے آتے۔ اس بل کو بہت پہلے آنا چاہیے تھا۔ خیر دیر سے آیا۔ خدا کرے اب یہ درست بھی ہو جائے۔ لوگوں کی مصیبتوں میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ گذر جانے کے بعد بھی معاوضے کی رقم اب تک ان مظلومین تک نہیں پہنچی۔ شاید ہندوستان کی تاریخ کا یہ واحد واقعہ ہے۔ جس میں کسی بھی معاوضے میں اتنی لمبی تاخیر ہوئی۔ محترم صدر صاحبہ۔ اس ملک کی تاریخ میں نہ جانے کتنے حادثے ہوئے ہیں۔ کبھی زلزلے کے ذریعے دیش کے لوگ متاثر ہوئے۔ کبھی قحط سالی کے

کا یہ جان لیوا واقعہ ہے۔ آج جو لوگ بھوپال جاتے ہیں۔ اس حادثہ کے شکار ہونے والے لوگوں کو دیکھ کر اور ان کی باتوں کو سن کر کانپ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں مرنے والے مر رہے ہیں۔ انھیں دوا نہ ملے۔ تڑپنے والے تڑپ رہے ہیں۔ انکے زخم جگر پر مرہم شفا نہ رکھا جائے۔ اس سے زیادہ ان کی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں اس بل پر لوک سبھا میں ہونے والی بحث کے دوران وزیر مملکت جناب چنتا موہن صاحب کے بیان کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے یہ یقین دلایا تھا کہ یونین کاربائیڈ کے صدر کو گرفتار کر کے ہندوستان لایا جائے گا۔ میں مرکزی حکومت سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے اور سرکار کو اس سلسلہ میں اب تک کس حد تک کامیابی ملی ہے اور سرکار یونین کاربائیڈ کے صدر کو امریکہ سے گرفتار کر کے کب تک لائے گی۔

میڈم۔ یہ معاملہ بہت زیادہ حساس ہے۔ امریکہ کی حکومت اپنے لوگوں کی جان مال کا خیال اس طرح سے رکھتی ہے کہ اگر انکا ایک آدمی کہیں قتل کر دیا جائے انکا کوئی آدمی کہیں ذبح کر دیا جائے۔ انکی سمپتی کہیں توڑی پھینکی۔ ناپی جائے تو امریکہ فوج لیکر ان ملکوں پر پہنچی اور کبھی دنگے اور فساد کے ذریعے بچے باپ سے محروم ہوئے۔ مائیں اپنے لالوں سے محروم ہوگئیں۔ مگر جس حادثہ پر آج ہم یہاں پارلیمنٹ میں بحث کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا حادثہ ہے۔ جس کا میرا ان کہی ہوئی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حادثہ بالکل عجیب و غریب اپنی نوعیت کا ہے۔ ایک طرف ایک ودیشی اس حادثہ میں شامل ہے۔ وہیں دوسری طرف ہماری سرکار بھی قصوروار کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑی دکھلائی دیتی ہے۔ مجھے تاریخ کا تھوڑا بہت تجربہ ہے۔ اور جو تھوڑی بہت تاریخ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جانی ہے۔ اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز ممبران پارلیمنٹ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے ہوگی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت نازی جرمنی نے ہٹلر کی قیادت میں لاکھوں لوگوں کو کمروں میں بند کر کے گیس چھوڑ کر قتل کیا تھا۔ لیکن جس پر ہم آج بحث کر رہے ہیں یہ کسی جنگ کا واقعہ نہیں ہے۔ انتقام لینے کیلئے بھوپال میں گیس چھوڑنے والا واقعہ نہیں ہے۔ کسی دوسرے ملک کا واقعہ نہیں ہے بلکہ صرف ہندوستان کا ہے اور ہندوستانیوں

کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ امریکہ ان ملکوں کے اوپر ظلم و ستم کے ساتھ بمباری کر دیتا ہے۔ امریکہ کے لوگوں کو مار دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ جنہوں نے امریکیوں کو مارا نہیں۔ امریکہ سٹینڈ-سٹر ریچ کر کے ان ملکوں کے خلاف ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ جس میں ان ملکوں کے بچوں کا کھانا پینا بند ہو جائے۔ دودھ اور پاؤڈر بند ہو جائے۔ انکے وسائل اور ذرائع سے انکو محروم کر دیا جائے۔ صدر صاحب آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا اور آپ کے ذریعے میں ہاؤس کے معزز ممبران کی توجہ بھی اس مسئلے کیطرف دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے امریکہ نے لیبیا کی معاشی پابندی کی تھی۔ لیبیا کے اوپر امریکہ نے بم بھی مارے تھے۔ کرنل قدافی کی بیٹی شہید ہوئی تھی۔ کرنل قدافی بھی بال، بال بچے تھے۔ ایک اور دوسرا حملہ لیبیا کے اوپر کرنے کا راستہ اپنے ظلم و ستم کا ہتھوڑا چلانے کے لیے امریکہ نے اس فرضی داستان کے ذریعے نکالا کہ جب اس، نے یکایک پوری دنیا میں اپنے جہاز تباہ ہو جانے کے بہت دنوں کے بعد یہ جھوٹا پروپیگنڈہ شروع کیا کہ لیبیا کے دو شہریوں نے ہمارے ہوائی جہاز کو بم سے اڑا دیا تھا۔ اگر لیبین حکومت اپنے ان دو شہریوں کو ہمارے حوالے نہیں کرتی تو لیبیا کی ناکہ بندی کی جائے گی۔ لیبیا کی معاشی ناکہ بندی کی جائے گی۔ غرض یہ کہ اپنی داداگری کے تحت فرضی مقدمات قائم کر کے ملکوں پر۔ ان ملکوں کے عوام کو۔ ان ملکوں کے لوگوں کو۔ ان ملکوں کے ناگرکوں کو اپنے ملک میں لے جاکر مقدمہ چلانے کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ اور مقدمہ بھی چلاتا ہے۔ جس کی لاٹھی اسکی بھینس کے تحت امریکہ ایک سانڈ بن گیا ہے جو لوگوں کی کھیت کی ہریالی دیکھ کر جس کا کھیت چاہتا ہے مونڈھ لیتا ہے۔ جس کے کھیت کے گندم اور اناج کو چاہتا ہے اس کو گھاس سمجھ کر چر لیتا ہے۔ امریکہ ایسا اونٹ ہے۔ جس اونٹ کی ناک میں اب نکیل لگانے کو کوئی تیار نہیں ہے اور وہ کسی بھی نکیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ نے لیبیا کے دو شہریوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ناٹک رچے۔ کس قدر پوری دنیا میں واویلا مچایا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کا وہ ناگرک جو یونین کاربائیڈ کا جنرل مینیجر تھا اس حادثہ کے بعد بہت دنوں تک ہندوستان میں رہا اور اس کے بعد جبکہ آج مجرم کی حیثیت سے سینٹرل گورنمنٹ اسے گرفتار کر کے امریکہ سے لانا چاہتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جرم تو اس نے بہت پہلے کیا تھا اس وقت آخر

اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا۔ اس کو کیوں نہیں نگاہ میں رکھا گیا۔ اس کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگائی گئی وہ کس طرح ہندوستان سے امریکہ پہنچ گیا۔ کس ایرپورٹ سے پہنچا۔ کن لوگوں کے ذریعے پہنچا۔ جسکے ذریعے اتنا بڑا اپرادھ ہوا کہ لاکھوں لاکھ لوگ مارے گئے۔ لاکھوں لاکھ لوگ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اتنا بڑا ظالم قاتل ہندوستان چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ منتری مہودے۔ بتائیں کہ امریکہ کے منہ میں پہنچ جانے کے بعد کیا اس کو حاصل کر سکیں گے۔ کیا یہ سرکار اس کو گرفتار کرے گی۔ ہندوستان لا سکے گی۔ امریکہ کا وہ جنرل مینیجر لاکھوں ہندوستانیوں کا قاتل ہے۔ جس طرح سے امریکن شہریوں کی جان کی بہت بڑی قیمت ہے۔ ویسے ہی ہندوستان کے شہریوں کی جان کی ایک اینچ بھی کم قیمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ امریکہ کے انسانوں کے پاس جو احساس ہے وہ ہندوستان کے انسانوں کے پاس بھی احساس ہے۔ امریکن لوگوں کو جو دکھ درد کا احساس ہے ہندوستانیوں کو بھی اس دکھ درد کا احساس ہے۔ امریکہ کے لوگ جس طرح پیڑت ہوتے ہیں۔ ان کی پیڑا دور کرنے کے لیے ان کی حکومت جس طرح سے اپنی جان پر کھیل کر اپنے دشمنوں کا تعاقب کرتی ہے۔ کیا ہماری مرکزی سرکار اس بات کا یقین دلائے گی۔ کہ بھوپال کی سرزمین میں لاکھوں تباہ ہونے والے لوگوں کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہزاروں۔ اندھے۔ لنگڑے اور لولے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے یونین کاربائیڈ کے اس جنرل مینیجر کو امریکہ سے اٹھا کر یا گرفتار کر کے ہندوستان لائے گی۔ حکومت یہ کارنامہ انجام دے۔ تو یقیناً ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے کہ ہم نے اپنی خودی نہیں بیچی ہے۔ ہندوستان غریب ضرور ہے۔ مگر غریبی اپنا تیور بھی رکھتی ہے۔ ہندوستان کے پاس چاہے وہ حالات اور اسباب نہ ہوں۔ جن کی بنیاد پر ہم اپنے لوگوں کو اچھی زندگی دے سکیں مگر ہم اپنی عزت کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کسی سے سمجھوتہ نہیں کریں گے۔

ہم اپنی عزت کی زندگی کا سمجھوتہ کسی سے نہیں کریں گے۔ یہ ہندوستان کی عزت کی زندگی کا سوال ہے۔ یہ ہندوستان کی عزت کی زندگی کا سوال ہے۔ اس لیے اگر وہ یونین کاربائیڈ کا جنرل مینیجر گرفتار کر کے نہیں لایا گیا۔ تو دنیا یہ سمجھے گی کہ ہندوستانیوں کی ہزاروں لاکھوں جانیں چلی گئیں۔ اس سے ہندوستانی گورنمنٹ کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہندوستانی گورنمنٹ

ڈرتی ہے۔ بلکہ انتظامیہ کی داداگیری سے جس کے سامنے ہندوستان نے سرنڈر ہوکر ہندوستان کے لاکھوں لوگوں کی تباہی کے منہ میں جانے کے بعد بھی ان کو سمان دلوانے کے لیے تیار نہ ہوکر امریکہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں۔

اس لیے منتری مہودے۔ اس مسئلے کو بالکل کلیر کریں کہ امریکن گورنمنٹ سے ہندوستانی حکومت کی اس سلسلہ میں کیا بات چیت ہورہی ہے۔ اب جب جنرل منیجر کو ہندوستان کی سرزمین پر بھوپال کے پیڑتوں اور مظلوموں کی مصیبتوں کی روشنی میں ایک مجرم کی حیثیت سے ہماری معزز عدالت عالیہ میں کس طرح کھڑا کیا جاتے گا۔

اس لیے یہ ایک بڑا گمبھیر سوال ہے۔ آنکڑوں کے ماحول میں میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے ساتھیوں نے بہت اچھے طریقہ سے بھوپال کے ایک ایک مسئلہ کو اور خود میڈم آپنے بھی اردو کی سردو کرکے رکھ دیا۔ ہندی کی چندی کرکے رکھ دیا۔ انگریزی کی رنگریزی کرکے رکھ دیا۔ بال کی کھال نکال کر رکھ دی۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اب اس مسئلے پر کوئی اور آنکڑا دینے کی ضرورت ہوگی۔

البتہ میں اس کے حاشیوں پر آپ سے بات ضرور کہنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ آپ کے سامنے میں نے اس کو رکھا ہے۔

سرکار اس کے لیے کیا انتظام کررہی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سرکار ابھی اس یقین دہانی کے بعد اس پر عمل کرنے کی تیاری کررہی ہے۔ اور کب جنرل منیجر کو گرفتار کرکے لارہی ہے۔ یہ بتائیے۔

اس کے ساتھ میڈم۔ وزیر موصوف نے اپنے بیان میں یہ بھی بتلایا ہے کہ بھوپال میں ۵۰۰ بستروں کے اسپتال کے بنانے کا کام تیزی سے کیا جارہا ہے۔ یہ سب کچھ اس بیک گراؤنڈ میں جو حادثات کبری گزر چکا ہے۔ اس بھوپال کی سرزمین پر۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا خطرناک معاملہ جس میں فوراً انتظام کی ضرورت تھی سرکار کے کہنے کے مطابق ابھی صرف وہ تیزی سے کام کررہی ہے۔ اور ابھی تک اسپتال نہیں بنا پائی۔ جبکہ اس حادثے کو ہوئے آٹھ دس سال کا دور گزر گیا۔ کیا سرکار اپنی اس لاپرواہی کے لیے موردِ الزام نہیں ہے۔

میڈم۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ابھی حکومت نے اسپتال کے لیے صرف زمین لی ہے۔ تو کیا جب مریض زمین کے اندر چلے جائیں گے ہندوستان

کے قبرستان میں چلے جائیں گے۔ تب یہ ہماری سرکار زمین کے اوپر اسپتال بنوائیگی۔

میڈم جو لوگ اس گیس حادثہ میں مرے ہیں۔ انکے وارثین اور معلولین کے ساتھ اس حادثہ میں بری طرح زخمی اور متاثر ہونے والے لاکھوں لوگوں کے لیے سرکار نے کیا پروگرام بنایا ہے۔ انکے بچوں کی تعلیم اور ٹریننگ کے لیے سرکار نے کیا انتظام کیا ہے۔ اور جو انتظامات کئے گئے ہیں کیا یہ صحیح نہیں ہیں کہ وہ بالکل ناکافی ہیں۔

اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ انتظامات میں سدھار کیا جائے انھیں چست بنایا جائے۔ اور مرکزی سرکار کی طرف سے اس کام میں دی جانے والی رقم کو بڑھایا جائے۔ انکے وارثین کو بہتر روزگار کے موقع فراہم کئے جائیں اور گھنی بستیوں میں اس طرح کی خطرناک انڈسٹریز لگانے کی اجازت بالکل نہ دی جائے۔ اور ایسے یقینی بنایا جائے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے ایک قانون اس پارلیمنٹ میں پاس کروایا جائے۔

....."وقت کی گھنٹی"...

میڈم۔ مرکزی سرکار کی ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ کہ صوبائی حکومت مدھیہ پردیش نے کہا ہے کہ جو لوگ دعویٰ کمشنر کے فیصلہ سے مطمئن نہ ہوں۔ انکو اپیل موقع دینے کے لیے گیارہ عدالتیں بنائی جائیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ دعویٰ کمشنر بذات خود تیاری کے ساتھ ہر تباہ فیصلے کے لیے اس بات کو یقین کیوں نہ بنا دیں۔ کہ معاوضے کی رقم جن لوگوں کیلئے جو طے کی جائے۔ اس رقم پر وہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ اور کم سے کم معاملات اپیل میں جائیں کیونکہ لوگوں کا اتنا زبردست نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود ایک درجن اپیل عدالتیں بنا کر اس معاملے میں نا خبر کرنے سے سمسیائیں اور بڑھیں گی۔ ۱۱ اپیل کورٹ کیلئے جو صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے اس کے حساب سے ہر عدالت میں تقریباً ۱۲ ہزار دعووں کی سنوائیں کرے گی۔ اس طرح تقریباً قریب سوا لاکھ تو معاوضے کے دعوے ہو گئے۔ صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ دعووں کی رقم کن بنیادوں پر طے کی جائے۔ اس کی گائیڈ لائن ہم کو چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی خطرناک صورتحال کے باوجود مرکزی حکومت اس حادثے کو اتنے دن گزر جانے کے بعد اب تک یہ طے نہیں کر پائی کہ جس کی روشنی میں معاوضے کی رقم طے کی جائے۔ اس سے بڑی لاپرواہی اور فرض شناسی سے منہ چھپانے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ مدھیہ پردیش کی صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت کو ایک

اور سجھاؤ دیا ہے۔ جو لوگ دعوی کمشنر کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں ان کو اس رقم کی ادائگی تب تک نہ کی جائے جب تک اپیل میں آخری فیصلہ ہو جائے۔ میڈم، اس سلسلہ میں میں منتری مہودے سے یہ کہوں گا کہ صوبائی حکومت کا یہ مشورہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ دعوی کمشنر نے جتنی رقم طے کر دی ہے۔ اس پر اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے صاحب معاملہ اپیل کرے گا اور چاہے گا کہ اس رقم کو اور بڑھایا جائے۔ اس طرح سے اس رقم کو کسی طرح سے کم ہونے کا تو سوال ہونے کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے صوبائی حکومت کا یہ سجھاؤ نہ صرف یہ غیر موزوں ہے۔ بلکہ غیر انسانی بھی ہے۔ میں مرکزی سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ وہ صوبائی حکومت کے اس سجھاؤ کو رد کر دے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ دعوی کمشنر معاوضہ کی جتنی رقم طے کرے اس کا پیمنٹ فوری طور پر کر دیا جائے۔ میڈم اسی کے ساتھ ساتھ اس معاملے میں بھوپال کے مظلوموں کے لیے اور انکی راحت کاری کے لیے جتنے بھی معاملات کی رائے لی جائے میں سمجھتا ہوں وہ بہت بہتر ہے۔

ایک بات میں اور منسٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ لوک سبھا میں انھوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ایک مرکزی ٹیم بھوپال بھیجی جائیگی اور معاملات کا جائزہ لے گی۔ حالات کا جائزہ لے گی۔ میں سرکار سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی مرکزی ٹیم وہاں گئی ہے اور بعد میں مرکزی ٹیم نے سرکار کو اپنی رپورٹ حوالے کی ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی سفارشات کیا ہیں اور مرکزی سرکار کا اس پر اس کا ردعمل کیا ہوا ہے۔ مجھے معتبر ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر افسران بھرشٹاچار کے ذریعے مصیبت زدہ لوگوں کا بڑے پیمانہ پر استحصال کر رہے ہیں مجھے یہاں تک پتہ چلا ہے کہ انھوں نے اپنے ٹھیکیداروں سے پرسنٹیج تک مقرر کر رکھے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس طرح کی دھاندلی معاوضہ ملنے سے پہلے ہی اپنی شکل دکھلا رہی ہے۔ تو پھر مصیبت زدہ لوگوں کو انصاف کہاں سے ملے گا۔ انکی تکلیفیں کس طرح ختم ہونگی۔ ایسے بھرشٹ افسروں اور ملازموں کی چھٹی کرنے کے لیے سرکار کیا قدم اٹھا رہی ہے سرکار کو چاہیے کہ فوراً چھان بین کر کے ایسے مجرم اہلکاروں کو نکال پھینکے۔ میڈم۔ یہ سبھی وہ سارے سوالات جو آج بھوپال گیس کے پس منظر میں ہماری پارلیمنٹ کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں حکومت کو ایک بالکل صاف طریقہ سے ایک راستہ اپنانا چاہیے اور مظلومین کو راحت کاری کیلئے یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ جو کچھ نہ کرکے سرکار

ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کا ثبوت دے رہی ہے۔

آخر میں بھوپال میں جو لوگ مرے ہیں۔ بھوپال میں جو لوگ پیڑت ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے خراج عقیدت اور ہمدردی کے نذرانہ محبت کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔

"ختم شد"

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Madam Vice-Chairman, what has been stated by he hon. Member is out of context. It is a question of contributory negligence on the part of the then Government of the State of Madhya Pradesh and the gas company.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MATI JAYANTHI NATARAJAN): There is just one minute left, I think. Sarlaji, would like to start? Speak for half a minute only because at five o'clock we will takeup Clarifications.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। महोदया, भोपाल गैस त्रासदी हिरोशिमा-नागासाकी के जनसंहार के बाद आधुनिक विश्व की दूसरी ऐसी सब से बड़ी त्रासदी थी। जिसने एक ही झटके में लाखों लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया था। महोदया, भयानक नर-संहार की इन दोनों घटनाओं के पीछे एक ही दानवीय शक्ति काम कर रही थी और उस दानवीय शक्ति का नाम था साम्राज्यवाद और उसकी अर्थ-लिप्सा। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, उसी समय हमारे माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर जी ने इस घटना के कुत्सित पहलुओं को देखते हुए इस घटना के तीन वर्ष बाद यह टिप्पणी की थी कि यह "भोपोशिमा" है। हिरोशिमा-नागासाकी के बाद उन्होंने भोपाल की इस त्रासदी को "भोपोशिमा" की संज्ञा दी थी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Sarala Ji, you will continue tomorrow. Now, we will take up clarifications on the Statement by the Minister of State in the Ministry of Home Affairs.

CLARIFICATIONS ON STATEMENT BY MINISTER REGARDING RECOVERY OF HUGE QUANTITY OF ARMS AND AMMUNITION AT AHMEDABAD

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, अहमदाबाद में भारी मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद जब्त होने के संबंध में जो वक्तव्य मंत्री जी ने दिया है, वह अपने आप में हमें बहुत सचेत करने वाला है।

आतंकवादी गतिविधियां अभी तक मात्र दो-तीन सूबों तक सीमित थीं, लेकिन अब यह बढ़कर अन्य सूबों में भी पहुंच गयी हैं और यह उस प्रदेश के संबंध में वक्तव्य है जो महात्मा गांधी का प्रदेश गुजरात प्रदेश है जहां कि आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियों का अड्डा बनाया है। मंत्री जी ने जो शस्त्र और विस्फोटक पदार्थ बरामदगी की बात कही है, उसमें उन्होंने जो सूची 23 की संख्या में बतायी है, उसमें कितने विदेशी और कितने देशी शस्त्र और गोला-बारूद हैं, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही लाल सिंह उर्फ मंजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद से इस घटनाक्रम की शुरूआत हुई, यह उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। तो उसे जब गिरफ्तार किया गया तो उससे क्या-क्या जानकारियां प्राप्त

hc9